

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

10 फरवरी, 1999

खण्ड 1, अंक 10

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 10 फरवरी, 1999

पृष्ठ संख्या

भाोक प्रस्ताव	(10)1
तारांकित प्र न एवं उतर	(10)2
अति-विि ाश्ट व्यक्तियों का अभिन्दन	(10)11
तारांकित प्र न एवं उतर (पुनरारम्भ)	(10)11
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत	(10)19
वि व बैंक से लिए गए त्रण से संबंधित मामला	(10)20
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(10)24
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(10)25
नियम 121 के अधीन प्रस्ताव	(10)25
सदन की मेज पर रखा गया कागज पत्र	(10)27
समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना	(10)27
(i) लोक सेवा समिति की 48वीं रिपोर्ट पे ा करना	(10)27

(ii) अनुसूचित जातियों, जन-जातियों तथा पिछड़े वर्ग कल्याण समिति की 24वीं रिपोर्ट पे ा करना	(10)27
(iii) अधीन विधान समिति को 30वीं रिपोर्ट पे ा करना	(10)28
(iv) आ वासन समिति की 30वीं रिपोर्ट पे ा करना	(10)28
विल्ज-	(10)28
1. हरियाणा विनियोग (सं01) विधेयक, 1999	(10)28
2. हरियाणा विनियोग (सं02) विधेयक, 1999	(10)29
3. हरियाणा विधान सभा (सदस्य चिकित्सा सुविधा) सं ाधन विधेयक, 1999	(10)37
4. हरियाणा विधान सभा (सदस्य चिकित्सा सुविधा) सं ाधन विधेयक, 1999	(10)39
5. हरियाणा प्राइवेट महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) सं ाधन विधेयक, 1999	(10)40
6. हरियाणा नगर पालिका (सं ाधन) विधेयक, 1999	(10)42
7. हरियाणा नगर निगम (सं ाधन)विधेयक, 1999	(10)44

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 10 फरवरी, 1999

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो० छत्तर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

भाक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बरज, अब ओबीचुअरी प्रस्ताव होगा।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, परसों ही हमारे बीच में एक बहुत ही अच्छे जनरल जो कि चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ रहे है, जनरल के० सुंदरजी, इनका स्वर्गवास हो गया है। मैं उनके लिए आबीचुअरी पे ा करता हूं।

This House places on record its deep sense of sorrow on sad demise of General Krishnaswami Sunderji. former Chief of the Army Staff. on February 8-1999

He was born on April 30-1928. He Joined the Indian Army in 1945 and got commissioned in 1946. General Sunderji saw action during Indo Pak War in 1965. He was Brigadier General Staff of a corps in the Eastern Theatre and made valuble contribution in operations culmmating in the liberation of erstwhile Pakistan into Bangladesh in 1971 Indo-Pak War. He was awarded with Param Vashisht Sewa

Medal. He became Deputy Chief of the Army in 1981 and Chief of the Army staff in 1986.

In his death, the country has lost a brave and courageous soldier and a great son of the motherland. This House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय नेता ने जो भाव प्रस्ताव यहां पर रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। जनरल सुंदरजी भारत की सेनाओं की भाँति थे। स्पीकर सर, आप जानते ही हैं कि भारत की सेनाओं का पूरी दुनिया में अपना एक अलग ही स्थान है। भारत की सेनाओं दुनिया में सबसे मजबूत और अनुशासित सेनाओं हैं। सेना में जनरल सुंदरजी का युद्ध के समय और युद्ध के बाद अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। यहां पर जब आतंकवाद का दौर था तो उस समय भी उन्होंने बड़ी संजीदगी से अपना काम किया। देश के लोगों ने जो भी जिम्मेदारी उन पर सौंपी थी उसको उन्होंने बहुत ही बखूबी से निभाया था। उनके निधन से भारत ने अपना एक सेनापति और अपना एक सपूत खोया है जिससे मुझे और मेरी पार्टी को बड़ा दुख हुआ है। भाव संतम परिवार के प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह दिवंगत आत्मा को भाँति दे तथा उनके परिवार को यह दुख बर्दाश्त करने की भाँति दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सदन के नेता और प्रो० रामबिलास भार्मा जी ने जनरल कृष्णास्वामी सुंदरजी भारत के उन महान सेनापतियों में से थे जिनका भारत की सेनाओं में एक विशिष्ट स्थान है। भारतीय जनरलों में उसकी गणना एक थिक टैक के रूप में की जाती थी। उन्होंने एक सैनिक के रूप में अपना जीवन आरम्भ किया और बाद में वे सेना के उच्चस्थ पद पर पहुंचे। यह उनकी अपनी योग्यता का एक स्पष्ट प्रमाण है। आज हमारे बीच में से अकस्मात् उनके उठ जाने से देश एक महान सेनापति, एक सच्चे देश भक्त की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी ओर से व सदन की ओर से दिवंगत आत्मा के लिए परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा की भान्ति दे और उसके परिवार के सदस्यों को इन महान क्षति को बर्दाश्त करने की भाक्ति प्रदान करे। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दो मिनट का मौन रखे।

(इस समय दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदन के सदस्यों ने खड़े हो कर दो मिनट का मौन धारण किया)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बरज, अब सवाल होंगे।

तारांकित प्रश्न सं. 992

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योकि इस समय माननीय सदस्य, श्री देवराज दीवान सदन में उपस्थित नहीं थे)

Shops of Rai and Randhawa Market

876. Shri Anil Vij: Will the Minister for Local Government be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the lease of shops of Rai Market and Randhawa Market has been expired sine many years,

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Govt. to renew the lease or sell the aforesaid land to its occupants; and

(c) if so, the time by which the proposal as referred to in (b) above is likely to be materialised?

स्थानीय भासन मंत्री (डा० कमला वर्मा):

(क) हां, श्रीमान्

(ख) व (ग) उपायुक्त अम्बाला जिन्हे बटवारा समझौता के अधीन प्राप्त अम्बाला छावनी क्षेत्र की जमीन का सम्पदा अधिकारी नियुक्त किया गया है, को आयुक्त, अम्बाला मण्डल के माध्यम से प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस बारे विचार जाएगा।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, यह अम्बाला छावनी स्थित गय मार्किट और रंधावा मार्किट से संबंधित प्र न है। 30

वर्ष पहले लगभग पौने तीन सौ दुकानें पट्टे पर दी गई थी जिनका पट्टा बर्ष 1983 में समाप्त हो गया था। चाहिए तो यह था कि पट्टा समाप्त होने से पहले ही पिछली सरकार इस बारे में अपनी नीति बना लेती। लगभग 16 वर्ष गुजर गए लेकिन इस बारे में कोई नियर्माण नहीं लिया गया। यह पिछले सरकारों की इनडिसीसिवनैस और रैंड टेपिज्म का ज्वलंत उदाहरण है। जबकि सरकार को पिछले 16 सालों से उन दुकानों का किराया भी प्राप्त नहीं हो रहा है, न लीज का पैसा मिल रहा है, इन दुकानों की लीज को रिन्यू करने का मामला पिछले कई सालों से विचारधीन है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार में, डिसीजन लेने की क्षमता है इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि यह जो इतने वर्षों से पैडिंग मामला है, इसका ये कब तक समाधान कर देंगे ये इस बारे में, क्या कोई समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं। कि एक महीने से, दो महीने में या तीन महीने में इस संबंध में कार्यवाही कर ली जाएगी?

डा० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हम समय-समय पर बैठके करते रहे हैं और माननीय सदस्य स्वयं भी उन बैठकों में हिस्सा लेते रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि इस सरकार के आने पर काम करने के बारे में कोई उपेक्षा नहीं की गई। हमने 11-3-98 को वितायुक्त एवं सचिव, स्थानीय भासन विभाग की अध्यक्षता में बैठके की और उसमें उपायुक्त, अम्बाला ने भी भाग लिया। मुख्य मंत्री जी ने भी 30.10.

98 को बैठक ली और उसमें यह निर्णय लिया गया कि 30 अप्रैल, 1999 तक आयुक्त की रिपोर्ट आने पर यह फैसला कर दिया जायेगा क्योंकि उपायुक्त की रिपोर्ट आ चुकी है। आयुक्त की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पैसिफिक क्वै चन यह था कि कितने माह में मंत्री महोदया यह फैसला ले लेगी। इस बारे में कोई समय सीमा निर्धारित की जाये। प्र न उपायुक्त की रिपोर्ट आने का या आयुक्त की रिपोर्ट आने का नहीं है।

डॉ० कमला भार्मा: अध्यक्ष महोदय, स्थानिया विधायक का प्र न बड़ा सही है। मैं उनको बताना चाहूंगी कि इस मामले में सरकार को भी घाटा हो रहा है इसलिए इसका निर्णय जल्दी ही ले लिया जायेगा। परन्तु यह फैसला आयुक्त की रिपोर्ट आने पर ही किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: किसकी रिपोर्ट आने पर फैसला किय जायेगा।

डा० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, कमि नर सारी मार्किट की दुकानों का सर्वे करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। वहां पर कुल 236 दुकानों है। पहले अम्बाला कंटोनमेंट का ऐरिया मिल्टरी के अंडर था लेकिन बाद में आर्मी ने इसे हरियाणा सरकार के अधिकार में दे दिया इसलिए अम्बाला सदर में नगरपालिका

5-2-1977 को बनाई गई थी छावनी और नगरपालिका के उस बंटवारे के समझौते के समय यह दो मार्किट बनाई गई थी। पंजाब से आये हुये विस्थापितों की पुनः स्थापना करने के लिए ये दुकानें उनको दी गई थी। इन 236 दुकानों में से 66 पट्टेदार ऐसे थे जो मूल धारक हैं जिनका ये दुकाने दी गई थी। वे दुकानें चला रहे हैं। 36 दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने दुकानें अन्य दुकानदारों को किराये पर दी हुई हैं और 123 दुकानें ऐसी हैं जिनको उन दुकानदारों ने बेच दिया है। बाकी दुकानों पर ताला लगा हुआ है। इन सब दुकानों का सर्वे करवाकर ही यह पता लगेगा कि किस दुकानदार ने अलाटमेंट के समय हुआ है। इन सब दुकानों का सर्वे करवाकर ही यह पता लगेगा कि किस दुकानदारों ने अलाटमेंट के समय जो भारते निर्धारित की गई थी उन भारते की उल्लंघना की है। उपायुक्त ने सर्वे करके रिपोर्ट दे दी है। अभी आयुक्त की रिपोर्ट आनी बाकी है। आयुक्त की रिपोर्ट आने पर इस मामले को कैबिनेट के मामले प्रस्तुत किया जायेगा। उसके बाद स्थानीय विधायक के सुझाव भी लिये जायेंगे। जैसे ये कहेंगे उसी के अनुसार फैसला कर लिया जायेगा। सरकार की इस मामले में फैसला करने की पूरी रूचि है। हम सरकार को घाटा नहीं देना चाहते और हम मामले में फैसला जल्दी ही कर दिया आयेगा।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदया, कमि नर तो आपके ही हैं आप उनको निर्दे । तो दे सकती है ताकि the matter be expedited as early as possible.

डा० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, निर्दे 1 तो पहले भी दिये हुये है और उनको आगे फिर जोर देकर कह दिया जायेगा।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय इस मामले को जल्दी ही निपटा देंगी। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो अम्बाला छावनी की भूमि बंटवारे के समझौते के समय नगर पालिका को स्थानन्तरित हुई थी उस भूमि के कई मामले है जैसे जिन लोगों को जो भूमि लीज पर दी गई थी वह लीज या तो समाप्त हो गई है या जो सरकारी भूमि थी जिसके लिये कहा गया था कि इस भूमि में कोई अतिरिक्त निर्माण नहीं किया जायेगा उस भूमि पर कई जगह निर्माण किया गया है और उस लाखों-करोड़ों रूपये की भूमि को कई लोगों ने बेच दिया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो वह भूमि बेची गई है या जिस भूमि पर निर्माण किया गया है उसके बारे में क्या कोई इन्क्वायरी करवायेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करवायेगी?

डा० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, भामलात की भूमि पर अवैध कब्जे संबंधी आज इस सदन में एक बिल ला रहे है ताकि भामलात भूमि पर जो भी अनियमित कब्जे किये हुये है और जिन्होंने यह अनियमितताएं की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। वैसे पिछली सरकार के समय में अनियमितताएं ज्यादा हुई है इसके लिये हम अमेंडमेंट लाकर के इसको रैगुलराईज करना चाहता है।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ एक स्पैसिफिक प्रश्न ही पूछना चाहता हूँ कि कैंटोनमेंट बोर्ड ने जो एरिया नगरपालिका अम्बाला छावनी को ट्रांसफर किया था उस एरिया में लीज होल्डर्स के जितने बंगले थे उनके साथ लगती हुई जितनी खाली जमीन थी उस जमीन को उन लीज होल्डर्स ने प्लॉट बना-बना कर बेच दिया है जो कि सरकारी भूमि को बेचने के समान है। क्या इस मामले की जांच करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी?

डा० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, स्थानीय विधायक की उपस्थिति में आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय के साथ एक बैठक हुई थी जिसमें एक निर्णय लिया गया था जिसके अनुसार ऐसी जितनी भी इरैगलुरिटीज है, उनका सर्वे कराया जा रहा है, टिश्यणियां मंगवाई जा रही हैं तथा उस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि 6 माह के अंदर-अंदर इस मामले में फैसला कर लिया जाए। माननीय साथी ने जो अन्य कॉलोनियों की बात की है, मैं इनको चाहूंगी कि लीज की अपना कुछ भागें होती हैं, 30 वर्ष के अंदर इसका नवीनीकरण किया जा सकता है तथा जितनी राशि की लीज है, उससे दुगुनी राशि ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त माननीय विधायक के साथ यह भी बात हुई थी अगर लीज लेने वाले व्यक्ति इस जमीन को खरीदना चाहते हैं तो मार्किट रेट्स पर उनको बेच भी देंगे तथा जो भी फैसला हमने किया है, वह 6 माह के अंदर अवश्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

श्री चन्द भाटिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद में नगर निगम है तथा उसका जो कमीशन है उसके पास एक लाख रुपए तक की राशि खर्च करने की परिवार है। इस राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक करने के लिये श्री कृष्ण पाल व आदरणीय भार्मा जी ने आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय व डा० कमला वर्मा जी से प्रार्थना की थी। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार इस पर विचार कर रही है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि फरीदाबाद नगर निगम के अन्दर जो मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर मेयर या पार्शद है, उन में से बहुत से लोगों ने वहां की जमीनों पर नाजायज कब्जे करवा रखे हैं। इस तरह से वे लोगों के हिसमेंट करते हैं। जिस प्रकार से यदि सरपंच गांव के अंदर कोई गलत काम करता है तो सरकार उस के खिलाफ एक्शन ले सकती है, उसको सस्पेंड कर सकती है। क्या सरकार ऐसी कोई सोच रखती है कि यदि वहां के मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर मेयर या पार्शद कोई गलत काम करें और कोई उनके खिलाफ लिखित में शिकायत करे तो क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा?

डा० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, इनकी यह सप्लीमेंटरी वैसे इस प्रश्न से संबन्धित नहीं है फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक को बताना चाहूंगी कि हम आज ही सदन में नगर निगम, 1994 के एक्ट में अमैडमेंट करने जा रहे हैं जिसके अनुसार माननीय साथी ने जितनी भी समस्याएं बताई हैं, उन सब

का समाधान हो जाएगा तथा चाहे कोई मैयर हो, डिप्टी मेयर हो, सीनीयर मेयर हो, पार्शद हो, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। मैं यह भी वि वास दिलाना चाहूंगी कि यदि कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करेगा चाहे वह नगरपालिका की जमीन हो, नगर निगम की जमीन हो या दूसरी जमीन हो, उसको उचित दंड दिया जाएगा।

श्री चन्द्र भाटिया: अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं मंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूँ।

श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया को बताना चाहूंगा कि हमारे पानीपत भाहर के अन्दर करीब 400 प्लॉट्स नगरपालिका द्वारा अपने चहेतों को दिए हुए हैं तथा यह कार्रवाही काफी लम्बे समय से चली आ रही है। हो सकता है यह बात मंत्री महोदया के नोटिस से भी हो। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि क्या इसके लिए कोई कार्रवाही ही जाएगी?

डा. कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय विधायक को बताना चाहती हूँ कि पिछले एक-दो सालों के अंदर ऐसे कोई प्लॉट नहीं दिए गए हैं तथा पिछली सरकार के समय में कितने दिए गए हैं, इनकी इन्क्वायरी करवा ली जाएगी तथा जो भी इरैगुलारिटीज पाई जाएगी, उनके अनुसार दोशियों

को उचित दंड दिया जाएगा। वैसे अभी तक मेरे नोटिस में 400 प्लॉट्स की लिस्ट नहीं आई है।

श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, यह मामला ग्रीवेंसिज कमेटी की मीटिंग में हर वार डिसक्स होता है। जिसमें हर बार मंत्री भी प्रान्तिक अधिकारी भी यह आवासन देकर चले जाते हैं कि इन प्लॉट्स की लिस्ट ग्रीवेंसिज कमेटी को दे दी जाएगी। लेकिन अभी तक वह लिस्ट ग्रीवेंसिज कमेटी के माध्यम से नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष: कादयान जी अगर आपकी मालूम है कि ये प्लॉट किस समय दिये गये हैं तो आप बताए।

श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, ज्यादातर प्लॉट कांग्रेस की सरकार के समय में दिये गये थे।

डा० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, स्थानीय विधायक मेरे को बता सकते हैं। ये अपने आप डी० सी० या ई० ओ० के पास जाये, वहां पर प्रोपर्टी का एक रजिस्टर होता है जिसमें म्यूनिसिपल कमेटी का जो भी जमीन होती है उसका रिकार्ड, रैवेन्यू रिकार्ड के साथ मिलाकर एक रजिस्टर में एंटर किया जाता है। उस रजिस्टर में यह भी पता लगया जा सकता है कि म्यूनिसिपल कमेटी की जमीन पर किसने नाजायज कब्जा कर रखा है और किसने नहीं। मेरी माननीय सदस्य से प्रार्थना है कि ये डी० सी० से मिले, रैवेन्यू रिकार्ड देखे और हमें बताये कि वे 400 प्लॉट्स किस समय दिये

गये है। उन पर उचित कार्यवाही की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के वक्त में तो ऐसे कोई भी प्लॉट्स नहीं दिये गये। माननीय विधायक उन प्लॉटों की मुझे लिस्ट बनाकर दे दें हम इन्क्वायरी करवा लेंगे

श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार की परमिशन के बगैर म्यूनिसिपल कमिटी का प्लॉट अलाट करने की पावर है?

डा० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको भी मालूम है पिछली सरकार तो जो चाह बिना नियम के काम करती थी, जैसे कांग्रेस सरकार ने हुडा के प्लॉट अलाट कर दिये थे और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वे प्लॉट कैंसिल कर दिये। म्यूनिसिपल कमिटी को प्लॉट अलाट करने की पावर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने के बाद ओवर आल इनचार्ज तो डी० सी० है, कोई ई० ओ० या प्रोजेक्ट प्लॉट नहीं दे सकता। प्लॉट अलाट करने के लिए सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन जारी की जाती है। डी० सी० अपनी रिपोर्ट सरकार के पास भेजता है और सरकार से निर्देश जारी किये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय इस बारे में रूलज के अनुसार सख्त इंस्ट्रक्शन जारी की हुई है कि चाहे पांच गज जमीन हो या 45 गज हो, तब तक उसकी स्पीकृति कैबिनेट से नहीं होती तब तक किसी को नहीं दी जायेगी, कैबिनेट की स्पीकृति के बाद ही जमीन अलाट की जायेगी। इसलिए मैं

कहती हूँ कि हमारी सरकार के वक्त में सवाल ही पैदा नहीं होता कि म्यूनिसिपल कमिटी ने किसी को भी प्लॉट अलाट किए हो। अध्यक्ष महोदय, वहां पर कई मकानों के पास जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े पड़े हैं, वे टुकड़े भी उन मकान वालों को देने के लिए कैबिनेट की स्वीकृति लेनी पड़ती है चाहे वह टुकड़ा 50 गज का ही क्या न हो।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, यह ठीक है कि आपकी सरकार के वक्त में प्लॉट अलाट नहीं किये गये लेकिन पिछले सरकारों के समय में तो प्लॉट अलाट हुए होंगे लेकिन सरकार का तो एक कंट्रैन्स प्रोसेस है, वह तो सदा रहेगा ही। सरकार की भी तो यह ड्यूटी बनती है कि जो पहले प्लॉट अलाट हुए हैं उनके बारे में इन्क्वायरी करें और दोशियों के खिलाफ कार्यवाही करें।

डा० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, जब भी हमारे पास कोई रिक्वायर्मेंट आती है तो नियम के अनुसार उस पर कार्यवाही की जाती है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, रिक्वायर्मेंट की बात नहीं है वहां पर आपकी कोई तो विभागीय मॉनिटरिंग होगी जो म्यूनिसिपल कमिटी की जमीन संबंधी मामले देखती है।

डा० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, हमें जैसे ही पता चलता है हम कार्यवाही करते हैं। जैसे अभी पीछे गुहला चौका में कम से कम 300 एकड़ सरकारी जमीन कब्जे से छुड़वाई है। लोगों

ने उस जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। अध्यक्ष महोदय, हमें जहां पर भी अवैध कब्जा के बारे में पता चलता है तत्काल कार्यवाही की जाती है ताकि अवैध कब्जों पर रोक लगे। इस बारे में हमें जहां कहीं भी शिकायत मिलती है हम वहां पर उचित कार्यवाही करते हैं। सारी नगरपालिका सीमा से सर्वे भी करवाया जाता है ताकि अवैध कब्जों को रोका जा सके।

श्री जगदीश मेयर: अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के हसनपुर भाहर में लोगों ने बहुत ज्यादा नाजायज कब्जे कर रखे हैं। होडल में दुकानों के बेचने का केस सरकार के पास आया था। (विधन)

श्री अध्यक्ष: मेयर साहब आपके हल्के में भी म्यूनिसिपल कमेटी है।

श्री जगदीश मेयर: अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में क्या नहीं है, मेरे हल्के में हर चीज है। (हंसी) मेरे हल्के में दो म्यूनिसिपल कमेटीज हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक तो मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि हसनपुर से नाजायज कब्जे तक तक हटा दिये जायेंगे और दूसरा यह जानना चाहता हूँ कि जो होडल नगरपालिका की दुकानों की बेचने का केस सरकार के पास आया है। उन दुकानों को बेचने के लिए सरकार कब तक अनुमति दे देगी।

डा० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, यह सवाल तो मेन प्रश्न से संबंधित नहीं है कि कब तक उन दुकानों को बेचने की

अनुमति दी जायेगी। लेकिन मैं माननीय सदस्य का बताना चाहती हूँ कि इस बारे में जांच करके जो भी एक आन लिया जायेगा उस बारे में माननीय सदस्य को बता दिया जायेगा।

श्री सतपाल सांगवान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम में मंत्री महोदया से एक जनरल बात पूछना चाहता हूँ कि चरखी दादरी में नगरपालिका के 20 प्लॉट पड़े हैं उसके लिए हमने बार-बार कहा है कि यदि सरकार उनकी नीलामी नहीं करेगी तो लोग वहाँ पर नाजायज कब्जे कर लेंगे। क्या मंत्री जी बतायेगी कि उन प्लॉटों की कब तक नीलामी हो जायेगी।

डा० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं जुबानी तो कुछ नहीं कह सकती कि कब तक उन प्लॉटों की नीलामी हो जायेगी। श्री सांगवान जी 20 प्लॉटों को ऑक आन करने की बात लिखकर दे दे तो देख लेंगे।

श्री सतपाल सांगवान: अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में मैं तीन बार मंत्री महोदया से मिल चुका हूँ।

डा० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, इस विषय में तो श्री सांगवान ने मेरे से कोई बात नहीं की है। लेकिन मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि ये प्लॉट नगरपालिका के अधीन हैं और उन पर कोई नाजायज कब्जा नहीं कर सकता है। जब भी वहाँ बिड होगी तो इन्हें ऑक आन किया जायेगा।

श्री सतपाल सांगवान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया को बताना चाहूंगा कि वहां अवैध कब्जे हो रहे हैं।

डा० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, विधायक जी उन नाजायज कब्जों की भी लिस्ट हमें दे दे यदि कोई नाजायज कब्जा है तो मैं कार्यकारी अधिकारी से जांच करवा लूंगी।

श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदया ने बताया है कि वह मामला विचाराधीन है लेकिन मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि पानीपत में एक चावला नाम के व्यक्ति को प्लॉट दिया गया था जिनकी जांच हुई तो संबंधित कार्यकारी अधिकारी को सस्पेंड किया गया और फिर उस बहाल कर दिया गया है जबकि आज भी वही प्लॉट उसी चावला नाम के व्यक्ति के पास है। क्या मंत्री महोदया बतायेगी कि उस बहाल क्यों दिया गया है।

डा० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, उस केस में अभी भी जांच चल रही है और पानीपत के डी० सी० महोदय की टिप्पणी आनी बाकी है और ई० ओ० को सस्पेंड करने या कोई पनि मैन्ट देने का दायरा तो सरकार के पास ही है। यदि अब भी जांच रिपोर्ट में दोषी पाया गया तो उस उचित सजा जरूर दी जायेगी।

श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, जब इ० ओ० को सस्पेंड किया गया है तो इससे स्पष्ट है कि उसकी गलती थी

और फाईनल जांच रिपोर्ट में भी पाया गया है कि श्री चावला को गलत तरीके से प्लाट दिया गया है।

डा० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, कई बार सस्पेंड तो थोड़ी से गलत रिपोर्ट मिलने पर भी कर दिया जाता है। जबकि जांच कराने पर इतना दोष नहीं लाया जाता और माननीय विधायक जी भी जानते हैं कि सस्पेंड करने या बहाल करने के लिये सरकार के कुछ नियम होते हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, क्या उस ई० ओ० को पैडिंग इन्कवायरी के तहत ही रिईस्टेट किया गया है। जैसे ही इन्कवायरी पूरी हो जायेगी उसे दोष अनुरूप उचित दण्ड दिया जायेगा।

तारांकित प्र न संख्या—922

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री नफे सिंह राठी सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्र न संख्या—927

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्र न संख्या—953

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री नरेन्द्र सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Repair of Roads

967. Shri Sat Pal Sangwan: Will the Minister for P.W.D (B&R) be pleased to state the time by which the following roads of district Bhiwani are likely to be repaired:-

- (i) Jai Shree road;
- (ii) Charkhi Dadri Rahtak road;
- (iii) Neemali-Sarugarh (approach road)
- (iv) Sanwar Manheru; and
- (v) Kohlawas to Sonf-Kasni road?

लोक मिर्माण (भवन एवं लड़के) मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): इन सडकों की मरम्मत चालू कलैण्डर वर्ष में होने की संभावना है।

श्री सतपाल सांगवान: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इन सडको की मरम्मत चालू कलैण्डर वर्ष में होने की संभावना वाली जो बात कही है, ऐसा तो पिछली दफा भी कहा गया था और पिछली दफा भी जय-श्री सडक के लिये मैने कहा था जिसके बारे में यह आ वासन दिया गया था कि तीन महीने के अन्दर सडक बनकर तैयार हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैने कल भी सदन में कहा था कि जय-श्री गांव चालू कलैण्डर वर्ष को 31 मार्च तक मानेंगे या 31 दिसम्बर तक मानेंगे। इसके अलावा मै आपके माध्यम से उनसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि मेरे हल्के में जिन सडको की हालत बहुत खराब है उनमे से एक आधा सडक तो बनवा दें।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसा मंत्री महोदय कह रहे हैं कि मेरे हल्के की चराखी दादरी-रोहतक सड़क 31 मार्च तक बना देंगे जबकि सारे स्टेट हाईवे भी बनाने के लिए सरकार ने 31 मार्च का ही समय दिया है। इसलिये उनकी यह बात भी अचम्भे की है कि उन्होंने मेरे हल्के की सड़क के लिये भी इतना ही टाईम बताया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, श्री सांगवान जी की बात ठीक है और अकेले भिवानी या दादरी के गांवों की सड़कें ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश में सड़कों की हालत खराब है। हमने अभी विलेजलिक रोड्स के निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया है। इससे पहले हमने यह फैसला किया है कि स्टेट के अन्दर जितने भी स्टेट हाईवे हैं, सबसे पहले उनको ठीक किया जाये। इसके साथ-साथ हरियाणा राज्य के अन्दर जितने भी एम0 डी0 आर0 हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ठीक करने और 500 किलोमीटर के ओ0 डी0 आर0 के ऊपर काम करने का फैसला किया है और इसमें काफी प्रगति भी हुई है। अध्यक्ष महोदय, श्री सांगवान जी जिन सड़कों को ठीक करने की बात कह रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप तो जानते हैं कि पिछली सरकार के वक्त राज्य में बाढ़ भी आई थी लेकिन उस सरकार ने सड़कों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और पूरे राज्य की सड़कों को अनदेखा किया और खास कर भिवानी जिले में सड़कों की मरम्मत का कोई काम नहीं कराया गया। पिछले चार पांच महीने से यह

विभाग मुझे मिला है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने सड़को की मरम्मत के लिए जो कार्यक्रम बनाया है वह हमें बताया है। माननीय सदस्य ने जो सड़के अपने सवाल में लिखी हुई है इनका तकरीबन हमने एस्टिमेट बनवा लिया है। इनमें में एक सड़क एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड द्वारा ठीक की गई थी उस सड़क का जितना बकाया काम है उसको एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड ही करेगा। इसके अलावा माननीय सदस्य ने चरखी दादरी से रोहतक रोड का जिक्र किया है। उस रोड के कुछ भाग में मिट्टी डालने का काम चला हुआ है बाकी कार्य को भी जल्दी ही पूरा करवाने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, माननीय सदस्य ने जो सड़के गिनाई है वे वाकई मैंने सड़के हैं जो 1995 में बाढ़ के दौरान 8-8 और 9-9 फुट पानी के नीचे थी। इन सड़को पर 8-8 और 9-9 फुट पानी चढ़ा हुआ था। जयश्री सांगवान खाप का गांव है इसलिए उस गांव से आपका थोड़ा सा प्रेम भी है। उस समय बाढ़ के दौरान उस गांव की बिल्डिंग की दो मजिल भी दिखाई नहीं दे रही थी वहां पर उस समय 11-12 फुट बाढ़ का पानी खड़ा था। कल आपने एक आवासन दिया था कि नैनल हाई-वे और स्टेट हाई-वे करी मरम्मत की जाएगी तो उनमें से चरखी दादरी-रोहतक रोड भी मेन रोड है वैसे तो नारनौल से रोहतक वाला रोड भी मेन रोड है। क्या आप यह आवासन दे पाएंगे कि स्टेट हाई-वे को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। उस स्टेट हाई

वे में भार्मा जी का भी साझा है, मेरा भी साझा है नृपेन्द्र जी का भी साझा है और दूसरे विधायकों का भी संबंध है बाढ के दौरान जयश्री, सांवड से मानहेरू, कोहलावास और सौंफ कासनी में 8-8,9-9 फुट पानी खड़ा था। उस दृढ़ ता को हुए चौथा साल लग गया है इसलिए इस बात की ओर आप थोड़ी सी अपनी नैक दिली दिखाते हुए उन सड़को की मरम्मत की ओर विशेष ध्यान दे वरना उस सांगवान खाप के गांवो के लोग आपको वहां पर नहीं जाने देंगे जब तक उस सड़क को ठीक नहीं करवा देंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, जो जयश्री गांव की सड़क है इनकी एक किलोमीटर लम्बाई की मरम्मत होनी है और उस पर चार लाख रूपय लागत आनी है। इसी तरह से कोहलावास और सौंफ कासनी की सड़क 4.17 किलोमीटर लम्बी है उस पर बड़ा भारी पैच वर्क किया जाना है। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि पिछली बेमौसमी बारिश ने सड़को की मरम्मत के काम में बहुत रूकावट डाली। एक तरफ तो हम आर्थिक दृष्टि से भी जूझते रहे और दूसरी तरफ मौसम ने भी हमारा साथ नहीं दिया आपने जिन सड़को की चिन्ता जताई है उस बारे में मैं इस बात का आवासन देता हूँ कि आने वाले समय में उनको जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत उपयुक्त बात फरमाई कि ये कोठपुतली नांगल चौधरी,

नारनौल महेन्द्रगढ़, चरखी दादरी और रोहतक रोड वाया बौंद।
(विघ्न)

एक आवाज: इनमें वाया बौंद कहां से आ गया। (हंसी)

श्री राम बिलास भार्मा: चरखी दादरी से रोहतक जाने के लिए कई रास्ते हैं, रानीला, पिलाना हो कर भी रास्ता है कुछ लोग दूसरे रास्ते हो कर भी चले जाते हैं। बींद एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक गांव है यह आज की बात नहीं है यह बहुत पहले से है। स्पीकर साहब, यह राजस्थान का महाराष्ट्र का, दिल्ली का और उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से जोड़ने वाला रोड है इस पर पिछले 10 वर्षों से राजस्थान से आने वाला महाराष्ट्र से आने वाले व गुजरात आदि से आने वाले जितना हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकलज है यह वाया कोटपुतली नांगल चौधरी, नारनौल, महेन्द्रगढ़ दादरी और रोहतक की तरफ से आ रहा है। इसके कारणों को सरकार ने समझा और उपयुक्त समझते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसका सर्वे जी ने इसका सर्वे करवाया और इस स्टेट हाईवे को फोरलानिंग में बदलने के लिए भारत सरकार के पास केस भेजा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि यह सड़क ने नल हाईवे डिकलेयर होगी। इसके लिए हरियाणा सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है।

श्री नृपेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि चरखी दादरी से चिड़िया की एक

सड़क है जो कनीना और रिवाड़ी को जोड़ने वाली है। मंत्री जी को भी पता है कि इस सड़क की हालत बहुत ज्यादा खराब है? यदि यह बात इनकी जानकारी में है तो इस रोड की मरम्मत कब तक करवा दी जाएगी? क्या इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है। यदि कोई समय सीमा निर्धारित की है तो इस कार्य के लिए कितने पैसे का प्रावधान रखा गया है?

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस बारे में पिछली दिनों जिक्र किया था। मैंने उस वक्त इनको आवासन दिया था कि हम इस सड़क को ठीक करना चाहते हैं। स्पीकर साहब, दादरी से चिड़िया रोड है यह पेपरों में ओ० डी० आर० रोड मानों जाती है। यह सड़क ०.२० किलोमीटर की लम्बाई में खराब है। इन सड़क को जैसे ही हमारे पास धन उपलब्ध होगा, ठीक करने की कोशिश करेंगे।

अतिविष्ट व्यक्तियों का अभिनन्दन

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I want to make an announcement that the Hon'ble Members of the House Committee of Bihar Vidhan Parishad and Shri Mantar Singh Brar. M.L.A Punjab Vidhan Sabha are present in the V.I.P Gallery. We welcome them. (Thumping)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): अध्यक्ष महोदय, बिहार से जो हमारे माननीय साथी आए हैं और पंजाब के विधायक

भी यहां वी० आई० पी० गैलरी में उपस्थिति है, मैं इन सभी का सदन और सरकार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं।

तारांकित प्र न एवं उत्तर (पुनराम्भ)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से चाहता हूं कि ने नल हाईवे नं० 22 जो न केवल अम्बाला चण्डीगढ़ को जोड़ता है बल्कि हरियाणा से सभी प्रांतों को अपनी स्टेट की राजधानी में जोड़ता है। इस हाईवे को बीच में कुछ हिस्सा पंजाब का पड़ता है। मैं जानना चाहूंगा कि इस सड़क की फोर लेनिंग में बदलने के लिए और डेराबस्सी के पास जो रेवले लाईन है उस पर ओवर ब्रिज बनाने के लिए क्या पंजाब सरकार के साथ कोई बातचीत चल रही है?

लोक निर्माण (भवन तथा सड़के) मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): अध्यक्ष महोदय, विज जी ने ठीक फरमाया है कि जो चण्डीगढ़ अम्बाला रोड है इसको फोर लेनिंग में बदलने के लिए और डेरा बस्सी में जो रेलवे फाटक पड़ती है उस पर ओवर ब्रिज बनाये जाने की सख्त जरूरत है। पिछले दिनों इस बारे में मेरी इनसे बातचीत हुई थी। मैं बताना चाहूंगा कि पंजाब के संबंधित मंत्री से तो अभी तक कोई खतूतो किताबत हुआ नहीं है। मैं इनको वताना चाहूंगा कि हम जल्दी ही पंजाब के मंत्री से इस सड़क को फोर लेन बनाने और सड़क को चौड़ा करने के बारे में

बातचीत करेंगे। यह सड़क चौड़ी तो है। यदि यह फोर लेनिंग हो जाए तो इससे लोगों को फायदा होगा।

श्री सतपाल सांगवान: स्पीकर सर, मंत्री जी ने एम0 डी0 आर0 के बारे में बताया है बड़ी खुशी की बात है कि इनको ठीक करवाने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी कांस्टीच्यूएंसी से दो दिन पहले मैं निकला था जीन्द से भिवानी जो रोड़ जाता है वहां पर धनाना गांव के पास जो स्टेट हाईवे है उसमें डेढ-डेढ फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं। मैंने इस बारे में मंत्री जी से बात भी की थी और उनसे प्रार्थना भी की थी। इस सड़क की रिपेयर तो जब होगी तब होगी लेकिन मेरी प्रार्थना है कि अभी इन गड्ढे को भरवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: केवल गड्ढे ही नहीं भरबाए जाए ऐसी बात नहीं है। मंत्री जी यह रोड़ जो भिवानी से जीन्द जाती है यह एम0 डी0 आर0 है या स्टेट हाईवे है यह तो आप अपने रिकार्ड से देख ले लेकिन भिवानी से मुण्डाल खुर्द तक सड़क पिछले दो साल से बुरी तरह से टूटी हुई है यह मेरी कांस्टीच्यूएंसी का ऐरिया है। केवल आवासन से काम नहीं चलेगा, मंत्री जो निश्चित रूप से भरोसा दिलाए कि भिवानी से जीन्द रोड़ कब तक ठीक हो जाएगी?

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, सांगवान साहब ने जो स्टेट हाईवे की बात कही है उसने बारे में मैं उनको बताना

चाहूंगा कि 118.94 किलो मीटर स्टेट हाईवे को ठीक करने का लक्ष्य हमने माना है और उसमें से 64.11 किलो मीटर रोड हम ठीक करवा चुके हैं और 54.83 कि० मी० सड़क का काम अभी किया जाना है। स्पीकर सर, जिस सड़क का आपने जिक्र किया और जैसे कि मेरी आपसे कल बात भी हुई थी मैंने विभाग में हमारे विभाग को वहां पर काम करने में काफी दिक्कत आती है। जैसे मैंने पहले बताया है जो थोड़ी-बहुत रोड ठीक होती भी है उसमें मौसम खराब होने की वजह से और बारिश होने बताया है जो थोड़ी-बहुत रोड ठीक होती है उसमें मौसम खराब होने की वजह से और बारिश होने के कारण काम में रूकावट आ रही है। स्पीकर सर, मैंने अधिकारियों से इन बारे में बात की है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जल्दी ही इस रोड को ठीक कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, वहां पर वाटर लोगिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर बढेसरा टिब्बा से कितनी ही रेत ले लीजिए वाटर लेगिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है।

श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि रिपेयर वर्क करवाने के लिए प्रायोरिटी बनाई है पहले स्टेट हाईवे ठीक करेंगे फिर एम० डी० आर० ठीक करवाएं जाएंगे और फिर बिजेल लिंक रोड्ज ठीक करवाएं जाएंगे। मैं आदरणीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि बिजेल लिंक रोड्ज का काम कितने दिन में भुरु हो जाएगा?

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर सर, बिलेज रोड्ज को ठीक करने का जहां तक ताल्लुक है, तमाम राज्य में जितने भी बिलेज लिंक रोड्ज है उनको ठीक करवाने का कार्यक्रम हम मार्च के बाद बनाने जा रहे है। स्पीकर सर, आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने यह आदे । भी दिए है कि विलेज लिंक रोड्ज पर जो गड्डे है उन पर मैच वर्क कर दिया जाए। मुझे वि वास है कि मार्च के बाद तमाम राज्य में जितने भी विलेज लिंक रोड्ज है उनको हम ठीक करवाने की कोि । । करैंगे ।

श्री जगदी । नेयर: अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में 4-5 रोड्ज रहते है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी के जलसे के लिए भी दिन नियम हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बावन खेड़ा से हसनपुर रोड़, होडल से गढ़ी पट्टी रोड़, रसूल पुर से हसन रोड और होडल से खामी रोड तीन फुट चौड़ा करने का मंत्री जी ने मुझे आ वासन भी दिया था और होडल बस स्टैंड से डबचिक रोड का काम भी होना है। अध्यक्ष महोदय, मै आदरणीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि पूर्व मंत्री श्री धर्मबीर जी ने इस काम को करवाने का आ वासन दिया था। मै मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के के रोड्ज की रिपेयर कब करवा दी जाएगी?

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सड़के है और उन पर काफी ट्रैफिक भी चलता है। लेकिन स्पीकर साहब, धन का अभाव होने की वजह से अभी हम

उन सड़को का बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं और जैसे ही हमारी वित्तीय हालात ठीक होती है हम उन सड़को का ठीक करवाने की कोशिश करेंगे।

श्री कैलाश चन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, मेरे ख्याल से जितनी भी सड़को के बारे में यहां पर पूछा गया है उनमें सबसे महत्वपूर्ण सड़क कोटपुतली से महेन्द्रगढ़ होती है हुई दादरी आती है वह सड़क है और इस सड़क पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक चलता है। इसको सबसे पहले ठीक करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह भी बताएं कि क्या इस सड़क की नैशनल हाईवे बनाने जा रहे हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, जैसे पहले राम बिलास भार्मा जी आवासन दे चुके हैं और यह तो इन्होंने कोटपुतली से दादरी वाली सड़क की बात की तो इस बारे में मुख्य मंत्री जी ने आदेश भी दिए हैं और हम मिनिस्टर आफ सरफेस ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट आफ इण्डिया से जल्दी ही बात करने जा रहे हैं और राज्य सरकार की तरफ से भी उनको लिखकर भेज रहे हैं कि इस सड़क को नैशनल हाईवे बना दिया जाए।

श्री कपूर चन्द भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि भाहबाद से कलसाना, नलवी और ठोल होते हुए जो सड़क अम्बाला हिसार रोड से मिलती है इसकी 20 कि० मी० लम्बाई है। इसमें बहुत बड़े-बड़े गड्ढे पड़

गए है और आजकल गन्ने का सौजन है। जमीदारों का उस सड़क से माल ढोना बहुत ही कठीन पड़ता है। हर रोज वहां पर ट्रालियां टूटती है। उस सड़क की तरफ मंत्री महोदय को जल्दी ध्यान देना चाहिए। दूसरे भाहबाद से मदनपुर, मलकपुर ढकाला और अजराना होते हुए झांसा रोड से सड़क मिलती है उसकी 18 कि० मी० लम्बाई है। यह भी बहुत टूटी हुई है। मंत्री महोदय, इस बारे में भी बताएं कि इसको कब तक ठीक करवा देंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, माननीय वैद्य साहब ने पहले जिस सड़क के बारे में बात की है उसके बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि जब भूगर मिलों में गन्ने की पिराई का सीजन शुरू हुआ था उससे पहले हमने प्रदेश की जितनी भी भूगर मिलें हैं उनके प्रबन्धकों से और अपने विभाग से बात की थी और हमने कोशिश की है कि जो सड़कें और रास्ते भूगर मिलों को जाते हैं उन रास्तों में किसानों साहब, अगर समझते हैं कि यह सड़क जो इन्होंने बताई है भूगर मिल को जाती है तो ये अब भी हमें लिखकर दे दें हम इसको प्राथमिकता पर ठीक करने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, दूसरी सड़क के बारे में इन्होंने कहा है तो उस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि जब सड़क की मरम्मत का रूटीन कार्य चलेगा तो उसमें हम उसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सड़कों के रख-रखाव, उनको

बनाने या उनको ठीक करने के लिए सरकार द्वारा कोई कारपोरे इन बनाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किया जा रहा है तो उसका एरिया आफ स्कोप क्या होगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में पिछले दिनों कैबिनेट की मीटिंग में एक प्रस्ताव पास हुआ है और हम जल्दी ही हरियाणा में सड़क और ब्रिजिज निगम बनाने जा रहे हैं। उसके दायरे के बारे में इन्होंने बात की है। उसमें हमारी कोर्िंग है कि आजकल धन के अभाव की वजह से नई सड़कें बन पाती हैं और जहां पर रेलवे ओवर ब्रिजिज बनाने की आवश्यकता है वह भी नहीं बन पाते हैं। जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं उन पर भी कोई कार्य नहीं हो जाता है। यह जो हमने कारपोरे इन बनानी है इसका दायरा पूरा हरियाणा प्रदेश होगा। जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं, रेलवे ओवर ब्रिजिज और बाईपास हैं हम उन सबको उसमें शामिल करने की कोर्िंग करेंगे और कारपोरे इन के माध्यम से हम उन सबको बना करके प्रदेश के लोगों को यह सुविधा देने की कोर्िंग करेंगे।

तारांकित प्र न संख्या 944

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य भी रामफल कुंडू सदन में उपस्थित नहीं थे)

Completion of Service lane, Panipat

975. Shri Om Parkash Jain: Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state whether it is a fact that the construction work of service lane on G.T. Road within the limits of Municipal work of service lane on the G.T. Road within the limits of Municipal Committee, Panipat is lying in complete; if so the reasons thereof togetherwith the time by which it is likely to be completed?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): यह ठीक है कि जी० टी० रोड पर नगरपालिका पानीपत की सीमा में (कि० मी० 88.700 से कि० मी० 92.800 तक) सर्विस लेन का निर्माण कार्य अभी अधूरा है। मूल ठेकेदार को मई 1996 में घटिया कार्य के कारण निश्कासित कर दिया गया था। कार्य नए ठेकेदार को जुलाई, 1998 में अलाट किया। सर्विस लेने का निर्माण कार्य दिसम्बर, 1999 तक पूर्ण होने की संभावना है।

श्री ओम प्रकाश जैन: अध्यक्ष महोदय, वहां पर काम चालू है इसमें कोई भाक की बात नहीं है। इसमें मंत्री जी बहुत मेहरबानी है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो पहले की सरकार ने वहां पर सर्विस लेन बनाई थी वह भी बिना बनी जैसी हो गई है। क्या मंत्री जी उसको भी रिपेयर करवाएँ या नहीं करवाएंगे। दूसरे अध्यक्ष महोदय, पानीपत भाहर बहुत भीड़ वाला भाहर है, वहां पर कोई वाई पास नहीं है। जिस वजह से वहां पर बहुत ही दिक्कत होती है। अध्यक्ष महोदय, गोहाना से असंध तक एक सड़क जाती है और वह गोहाना रोड से जाकर आगे जी० टी० रोड पर मिल जाती है। उसके लिए नाबार्ड में 50 लाख रूपये आ चुके हैं। इस

रोड की वाइडनिंग के लिए वहां पर कुछ पेड़ कटने है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या विभाग ने वहां पर पेड़ कटवाने के लिए कोई परमिशन ली है, क्या कोई कार्यवाही इस बारे में की है, यदि नहीं की है तो मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी यह परमिशन ली जाए ताकि उस रोड पर वह 50 लाख रुपये खर्च हो सकें और वहां पर एक मिनी वाई पास बनाया जाए? इसके अलावा मंत्री जी ने जी0 टी0 रोड, पानीपत में सर्विस लेन बनाने का आवासन दिया है उसके लिए मैं इसका धन्यवाद करता हूँ।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मामनीय जैन साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पानीपत भाहर के बीचों बीच से जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरात है उसमें बहुत भीड़ रहती है जिसके कारण वहां पर आने जाने वाले वाहनों को तथा आने जाने वाले लोगों की बड़ी दिक्कत होती है। इन्होंने जो वहां पर पानीपत भाहर से बाहर सड़क बनाने के बारे में बात कही है उसको बताना चाहूंगा कि इस बारे में हमारे विभाग ने सोचा जरूर है लेकिन अभी कोई पुख्ता कार्यवाही का मन नहीं बनाया है। हम जो निगम बनाने जा रहे हैं तो इसके बनाने का एक उद्देश्य हमारा यह भी है और हमारे विभाग ने इसको ठीक पाया तो हम पानीपत भाहर के अन्दर एक ऐलीवेटिड हाई-वे बनाकर वहां से भीड़ को निकालने का प्रयास करेंगे। हमारा यह प्रस्ताव वाई पास से भी अच्छा हो सकता है लेकिन स्पीकर सर, आप जानते हैं कि इसके लिए हमें

साधन और समय की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सरकार इस बारे में चिंतित जरूर है कि पानीपत भाहर के अंदर से इस समय जो वाहन गुजरते हैं उनको वहां से ठीक तरह से निकालने के लिए कोई न कोई तरीका अपनाया जाए। जिस प्रस्ताव के बारे में जैन साहब ने कहा है कि उसके बारे में अभी विचार होना है। स्पीकर सर, आप जानते ही हैं कि पिछले पांच-दस सालों से पिछली सरकारों ने न तो नहरों की सफाई के बारे में कोई ध्यान दिया और न ही प्रदेश की सड़कों की तरफ गौर किया। जहां तक इन्होंने पेड़ों को काटने की बात कही है पेड़ों को काटने के लिए हमें भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। अगर वहां पर सड़क बनाने में पेड़ रुकावट बनते हैं तो हम उनको काटने के लिए अनुमति लेंगे। इसके अलावा इनके भाहर में जो सर्विस लेन टूटी हुई पड़ी है उसकी भी हम ठीक करवाने की कोशिश करेंगे।

श्री ओम प्रकाश जैन: अध्यक्ष महोदय, वहां पर सड़क बनाने के लिए विचार की बात नहीं है बल्कि वहां पर नाबार्ड से उसके लिए 50 लाख रुपये आ चुके हैं लेकिन वहां पर पेड़ों को काटने की महकमे से कहकर इस बारे में एक केस बनवाना चाहिए चाहे वह पेड़ काटने का केस हो या चाहे डायकान का केस हो लेकिन यह केस बनावाकर जल्दी से जल्दी महकमे को भेजना चाहिए ताकि यहां पर वे पेड़ कट सकें और वह सड़क बन जाए एवं वह पैसा भी खर्च हो जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही माननीय सदस्य की बता चुका हूँ कि जो नया निगम जा है उसके मायने यही है कि पानीपत भाहर के अंदर में ट्रेफिक ठीक तरह से निकाला जाए। इस बारे में हमारे विभाग का भी और सड़को के भीघ्न से संबंधित एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि पानीपत भाहर में वहां पर जब तक एलीवेटिड हाई-वे हनी बनेगा तक तक वहां के ट्रेफिक का कोई समाधान नहीं हो सकता। इसके अलावा जहां तक इन्होंने दूसरी सड़क के बनाने के बारे में कहा है तो ये किसी दिन मेरे कार्यालय में आ जाएं मैं इनके सामने ही अपने अधिकारी से बात कर लूंगा और इनकी दिक्कत का समाधान निकलवा दूंगा।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, करनाला-अम्बाला फोरलेनिंग के बारे में जहां तक मेरी जानकारी है कि उसकी समय सीमा खत्म हो गयी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि करनाल अम्बाला फोरलेनिंग का बनाने की समय सीमा बढ़ायी गयी है या नहीं? अगर बढ़ायी गई है तो कब तक और कब तक यह काम पूरा हो जाएगा?

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, इस समय मेरे पास इस बारे में पूरे तथ्य उपलब्ध नहीं है लेकिन मैं इनको इस बारे में पत्र लिखकर पूरी जानकारी दे दूंगा।

श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, जैसा इन्होंने बताया कि सरकार पानीपत भाहर में एक एलीवेटिड हाई-वे बनाने जा रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह हाईवे कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि हम बनाने जा रहे हैं बल्कि मैंने यह कहा कि हमारा विभाग अभी इस बारे में सोच रहा है और हमारा मानना यह है कि अगर वहां पर एलीबेटीड हाई-वे बना तो वहां पर लोगों को आने जाने की सुविधा हो जाएगी। हम जो प्रदेशों के अंदर सड़क एवं पुलों का एक नियम बनाने जा रहे हैं तो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है। प्रदेशों की इस तरह की जो भी समस्याएं होंगी चाहे वह रेलवे ओवर ब्रिज हो, चाहे ऐलिवेटेड ब्रिज हो, चाहे बाई पास हो, चाहे स्टेट हाइवे हो, चाहे एम0 डी0 आर0 हो उनके बनाने पर विचार कर रहे हैं, उनको बनाने का कार्यक्रम नहीं बनाया है।

श्री अध्यक्ष: कादयान साहब, यह तो अभी मैट्रल ऐक्सरसाइज है।

श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जैसा कि अभी निगम के बारे में बताया है कि निगम बनाने जा रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब लोक निर्माण विभाग है तो निगम बनाने से क्या फायदे होंगे, यह जरूर बताएं?

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, निगम से होने वाले फायदों के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर ये कहें तो फिर से बताऊँ। जहा तक ने नल हाइवे का संबंध है यह सारी बाते हमारे हाथ में नहीं होती उसके लिए भारत सरकार से भी इजाजत लेनी पड़ती है, भारत सरकार जब इजाजत दे देती है तब ने नल हाईवे अथौरटी ही उस पर काम करती है और उसके बाद वह राज्य सरकार को इस बारे में बताते है।

तारांकित प्र न संख्या 980

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य भी बंता राम सदन में उपस्थित नहीं थे)

तारांकित प्र न संख्या 812

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य भी देवराज दीवान सदन में उपस्थित नहीं थे)

तारांकित प्र न संख्या 925

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य भी बलबीर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे)

Building of Charkhi Dadri Hospital

968. Shri Sat pal Sangwan: Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) whether it is a fact that building of Hospital Charkhi Dadri recently taken over by the Government is in dilapidated conditions, if so, the time by which it is likely to be repaired; and

(b) the time by which building of Primary Health Centre, Achina is likely to be Completed/start functioning?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश महाजन)

(क) जी, नहीं।

(ख) भवन भीष्म पूर्ण करने हेतु प्रयत्न किये जाएंगे।

श्री सतपाल सांगवान: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने (क) के जवाब में बताया कि जी नहीं। ये बहुत ही सीनियर मंत्री हैं फिर भी ऐसा जवाब दे रहे हैं। भायद इन्होंने उस अस्पताल की हालत देखी नहीं है, जैसा महकमे के अफसान इनको बता दिया उसी के आधार पर इन्होंने कह दिया कि जी नहीं। अध्यक्ष महोदय, यह अस्पताल पहले तीन साल तक बंद रहा। उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री की मेहरबानी से व दादरी भाहर की जनता की मांग पर 17-11-97 को इस अस्पताल को सरकार द्वारा टेकओवर किया गया था। टेकओवर करने के बाद तीन साल तक तो इसमें कबूतर घूमते रहे। इस अस्पताल की बिल्डिंग का बुरा हाल है। फिर भी मंत्री जी उस बिल्डिंग को बनाने के बारे में कह रहे हैं कि जी नहीं।

श्री ओम प्रकाश महाजन: अध्यक्ष महोदय, यह अस्पताल भाहीद उधम सिंह जैन के नाम से है इसको सरकार द्वारा 17-11-97 को टेकओवर किया था और उस अस्पताल की जो सिफ्ट डीड है उसकी संस्था के जो मैम्बर्ज है उनके द्वारा 19 फरवरी को मोटिंग करनी है। हमने पी0 डब्लू0 डी0 से 2 लाख 49 हजार, 190 रुपये के ऐस्टीमेंट बनाकर सरकार को भेजे हुए हैं और जल्द ही मार्च तक व एप्रव होकर आ जाएंगे। उसके बाद आगे की कार्यवाही की जायेगी। बाकी मैं मेरे इन के बाद जब सांगवान साहब, हुक्म करेंगे मौके पर जाकर देख आऊंगा।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, यह अस्पताल दादरी सब-डिवीजन के मुख्य केन्द्र पर स्थित है जो कि तीन विधायकों से संबंधित है एक तो मेरी कांस्टीच्यूएंसी, एक श्री नृपेन्द्र सिंह जो की व एक सतपाल सांगवान जी की कांस्टीच्यूएंसी से संबंधित है। पहले वहां पर जो सरकारी अस्पताल था उसमें 1993 और 1995 के बाढ़ में 9-9 फुट पानी चढ़ गया था और कई दिन तक पानी खड़ा रहा था जिसकी वजह से सरकारी अस्पताल की सारी बिल्डिंग खराब हो गई थी। भाहीद उधम सिंह जैन संस्था ने नई बिल्डिंग सरकारी अस्पताल के लिए बना कर दे दी हैं, वह करोड़ों रुपये की बिल्डिंग है, क्या सरकार उस पर थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके उसकी मरम्मत कराएगी। क्या आप वह उदात्तापूर्वक बताएंगे कि यह काम कब तक हो जाएगा? बाकई में उस बिल्डिंग की मरम्मत की जरूरत है।

श्री समपाल सांगवान: अध्यक्ष महोदय, (ख) भाग के बारे में मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि अचिना पी० एच० सी० की बिल्डिंग बन कर तैयार हो चुकी है लेकिन उसमें अर्थ फिलिंग और सैनेटरी का काम बाकी है और अगर ऐसे ही उस बिल्डिंग का काम अधूरा रहा तो 2-4 महीने में वह बिल्डिंग कोलैप्स भी हो सकती है मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि उस पी० एच० सी० की बिल्डिंग के इस काम को कब तक पूरा कर दिया जायेगा।

श्री ओम प्रकाश महाजन: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि अचिना पी० एच० सी० की बिल्डिंग बन कर तैयार हो चुकी है लेकिन सैनेटरी और अर्थ फिलिंग का काम बाकी है जिस पर लगभग 19 लाख रुपये का खर्च होना है। इसमें दुर्भाग्य की बात यह रही कि बिल्डिंग का एस्टिमेट पहले बना दिया गया और सैनेटरी और अर्थ फिलिंग का एस्टिमेट बाद में बनाया गया। इसमें से 9.17 लाख रुपये सैनेटरी पर और 9.83 लाख रुपये अर्थ-फिलिंग पर खर्च होने ह। हमने ये दोनों एस्टिमेट 18-10-98 और 14-11-98 को वित्त विभाग को भेजे हुये हैं और जैसे ही इन एस्टिमेट की एप्रुवल आ जायेगी पी० एच० सी० का बचा हुआ यह काम पूरा दिया जायेगा।

श्री कैलाश चन्द भार्मा: स्पीकर सर, पिछले साल वर्षा के दौरान नारनौल अस्पताल की चार दीवरी गिर गई थी। इस बारे में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया था और उन्होंने इस काम के लिए पांच लाख रुपये मंजूर भी कर दिये थे और एक

महीने में इस काम को पूरा करने को कहा गया था। लेकिन अन बातों को एक साल होने को आया है। और उस चार दीवारी को बनाने का काम भुरू नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वे कृपाया ये बताने का कष्ट करें कि इस काम की अब तक क्या प्रोग्रैस हुई है।

श्री ओम प्रकाश महाजन: अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है यह सवाल बनता तो नहीं है फिर भी मैं इसका जबाब दे देता हूँ। जो यह चार-दीवानी अस्पताल की बननी है वह चार फुट चौड़ी और 150-500 फुट की चार दीवारी एक साथ बननी है और इस पर लगभग 2.80 लाख रुपये खर्च होंगे। इसका एस्टिमेट वित्त विभाग को भेजा हुआ है और जैसे ही एस्टिमेट की एप्रूबल आ जायेगी तो अस्पताल की चार दीवारी बना दी जायेगी।

श्री नृपेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मेरे हल्के में हडौदी पी० एच० पी० के लिए एक दानी व्यक्ति न जमीन उपलब्ध करवा दी है परन्तु उस पी० एच० पी० का भवन अभी तक नहीं तक नहीं बनाया गया है, उस भवन का निर्माण कब तक करवा देंगे। दूसरा भिवानी जिले में ऐसी कितनी पी० एच० सी० है जिनके लिए पंचायतों ने जमीन उपलब्ध करवा दी है परन्तु उनका भवन निर्माण अभी तक नहीं किया गया है।

श्री ओम प्रकाश महाजन: अध्यक्ष महोदय, सारी डिटेल्स तो अभी मेरे पास नहीं हैं मैं माननीय सदस्य को सैंशन के बाद इस बारे में सारी जानकारी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: लिखित रूप में दे देना।

श्री ओम प्रकाश महाजन: ठीक है सर।

श्री सोमबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि मेरे हल्के में सूरपूरा खुर्द हैल्थ सब सैंटर का पोजीशन कब तक लेंगे क्योंकि इस हैल्थ सब सैंटर का भवन बन कर तैयार हो चुका है और अगर ऐसा ही रहा तो उस भवन की मरम्मत करवाने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

श्री ओम प्रकाश महाजन: अध्यक्ष महोदय, वास्तव में दिक्कत कुछ और ही है। जिस समय पंचायतों से जमीन ली जाती है, उस जमीन पर बिल्डिंग तो चाहे चादनी चौक पर बना दी जाए या कहीं और बना दी जाए उस पर खर्च तो एक समान ही आना है लेकिन अस्पताल के लिए गलत स्थान चुनने के कारण जो कि गांव से काफी दूरी पर स्थित होता है, उस अस्पताल में मरीज नहीं आते हैं। पिछले 10-12 सालों में ऐसी कई अस्पताल कि बिल्डिंग बनी जो कि गांवों से काफी दूरी पर स्थित है। इस बारे में सांगवान साहब भी यह रहे थे कि बिल्डिंग तो बन गई लेकिन वहां पर अर्थ-फिलिंग नहीं हुई उसकी वजह से उसको सरकार द्वारा टेक-ओवर नहीं किया गया है। इसी प्रकार से जैसे सोमबीर

सिंह जी बता रहे हैं कि वहां पर सब सैंटर की बिल्डिंग तो बन गई है लेकिन वहां पर आने जाने के लिए रास्ता नहीं बन सका है, उसकी वजह से उसको टेक ओवर नहीं किया जा सका है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में आज ही पता करके इन को जवाब दे दूंगा।

श्री सोमबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, जिस सब-सैंटर की बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ वह गांव के बिल्कुल बीच में स्थित है।

श्री ओम प्रकाश महाजन: अध्यक्ष महोदय, उस बिल्डिंग को अब तक टेक ओवर क्यों नहीं किया गया है, हम बारे में जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ पता करके आज ही इनको बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, मेरे हल्के के गांव बामाला की पी0 एच0 सी0 बिल्कुल सड़क पर स्थित है उसकी सड़क के साथ चारदीवारी बननी बीच में ही रह गई है जिसके कारण उस में पानी बगैरह आ जाते हैं। यह मामला कई बार डिस्कस भी हो चुका है। क्या आप इस को बनवाने का आवासन देंगे?

श्री ओम प्रकाश महाजन: अध्यक्ष महोदय, आपके हल्के के लिए तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक करोड़ छियालीस लाख रूपय मंजूर किए हैं तथा इसके लिए भायद 15 मार्च की तारीख भी निर्धारित कर दी है। सैंटर के बाद जिस दिन भी हम

वहां पर जाएंगे तो उसी दिन मामला, पी0 एच0 सी0 की सड़क के साथ वाली चारदीवरी को बनाने के बारे में भी मौके पर ही देख लेंगे तथा उसके बाद उसका एस्टिमेंट बनवाकर उसे बनवा देंगे।

श्री सोमबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरे सब सैटर का जो अभी जिक्र हुआ था, उसके बारे में मैं पूछना चाहूंगा कि उसको कब तक टेक-ओवर कर लिया जाएगा?

श्री ओम प्रकाश महाजन: अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि सैनिक खत्म होते ही मैं अपने तौर पर पता करके इन को बता दूंगा।

11.00 बजे

श्री अध्यक्ष: अब प्रश्न काल खत्म होता है।

श्री सतपाल सांगवान: अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं तथा आज वह सत्र भी खत्म होने के वाला है इसलिए आपसे प्रार्थना है कि कृपया प्रश्न काल को समय बढ़ा है।

श्री अध्यक्ष: सांगवान साहब, आप अपनी बात भुन्य काल के दौरान कह लेना।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अभी पूछने बाकी रहते हैं। इसलिए आप हम

प्रश्नों के लिए समय दीजिए और प्रश्न काल का समय आधे घण्टे के लिए और बढ़ा दीजिए।

Mr. Speaker: That is not permissible under the Rules, because the Question Hour is already over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित
प्रश्नों के लिखित उत्तर

Replacement of Wooden Ballies with Iron Poles

872. Shri Anil Vij: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to replace wooden Ballies (Poles) with Iron Electric Poles in Mahesh Nagar, Gobind Nagar and other areas of Ambala Cantt; and

(b) if so, the time by which the aforesaid work is likely to be completed?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल):

(क एवं ख) लकड़ी की बल्लियों (पोलों) को लोहे के बिजली के पोलों के साथ बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। धन की उपलब्धि पर निर्भर करते हुए महे नगर, गोबिन्दनगर तथा अम्बाला कन्टोनमेंट के अन्य क्षेत्रों में लकड़ी के पोलों को प्री-स्ट्रैस्ड सीमेन्ट कंक्रीट पोलों के साथ बदलने का प्रस्ताव है।

Construction of New Roads

978 Shri Banta Ram: Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the roads of the following villages:-

(i) from Guda to Godi;

(ii) from Gundiyaana to Kasyap Majra; and

(iii) from Hartan-Sikandra to Hiran Chapar?

लोक निर्माण (भवन तथा सड़के) मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): गुदियाना से कस्यप माजरा तक सम्पर्क सड़क निर्माण का प्रस्ताव है। तथापि गुढ़ा और हड़तान सिकन्दरा से हिरण छप्पड़ तक सड़क निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Completion of the Grain Market Safidon

945. Shri Ram Phal Kundu: Will the Minister of State for Horticulture & Marketing be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the construction work of New Grain Market, Safidon is lying incomplete;

(b) if so, the time by which the construction of the aforesaid Grain Market is likely to be completed?

बागवानी तथा विपणन राज्य मंत्री (श्री जगबीर सिंह मलिक):

(क) इस मण्डी की चार दीवारी का कार्य पूर्ण है। दूसरे विकास कार्यों का निर्माण अभी शुरू किया जाना है।

(ख) इस मण्डी की रूपरेखा पुनः विचाराधीन है तथा कार्य चरणवद्धता से किया जाएगा। प्रथम चरण का कार्य शुरू होने के पचास दो वर्षों में पूरा होने की संभावना है।

वि. व. बैंक से लिए गए ऋण से संबंधित मामला

श्री सतपाल सांगवान: अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही अहम मुद्दा रह गया है तथा आज सत्र भी खत्म होने जा रहा है। वह यह है कि बिजली के उत्पादन तथा प्रसारण में सुधार के बारे में वि. व. बैंक से लिए गए ऋण के संबंध में हम सरकार से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इस मुद्दे पर यहां पर डिस्कशन करवाने की अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: ठीक है आप सभी इस मुद्दे पर डिस्कशन कर सकते हैं।

श्री सतपाल सांगवान: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की जनता को 24 घंटे बिजली देने की बात चली है। वि. व. बैंक से बिजली के सुधारीकरण हेतु हम 2400 करोड़ रुपये का ऋण लेने जा रहे हैं। (विधन) अध्यक्ष महोदय, मैं पहली लोन बिजली की जनरेशन के लिए या बिजली की ट्रांसमिशन के लिए ले रही है उस पर रेट आफ इंट्रस्ट क्या है? उस रेट ऑफ इंट्रस्ट को देने से हमारे यहां बिजली कितनी मंहगी होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूँ कि वर्ल्ड बैंक जो 2400 करोड़ रुपये का लोन दे रहा है उस लोन को देने की भी तो

कोई कंडी न होगी। हम जो किसानों की सबसिडी दे रहे हैं क्या उसके ऊपर तो उस लोन का कोई असर नहीं पड़ेगा?

लोक सम्पर्क राज्य मंत्री (श्री अतर सिंह सैनी): अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी ने जो पहला सवाल पूछा है कि हमने वर्ल्ड बैंक से 2400 करोड़ रुपये को लोन क्यों लिया है, इतना कर्ज लेने की क्या जरूरत थी। इस बारे में मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि आज से 28-30 साल पहले हमारे मुख्य मंत्री महोदय चौधरी बंसी लाल जी ने हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंचाई थी और उस समय जो बिजली के खंभे, तार और ट्रांसफार्मर आदि लगाये गये थे उनकी अब उम्र खत्म हो चुकी है। क्योंकि उसके बाद दूसरी सरकारों ने उनकी मरम्मत नहीं करवायी। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री महोदय न चुनाव के दौरान हरियाणा की जनता से वादया किया था कि हरियाणा की जनता को 24 घंटे बिजली देंगे। अपने इस वायदे को पूरा करने के लिए चौधरी बंसी लाल जी ने उड़ीसा के मुख्य मंत्री महोदय प्रदे को बिजली देने के लिए तैयार हो गये थे। लेकिन हमारे इंजीनियर्स ने कहा कि हमारे ट्रांसफार्मर और बिजली के तारे आदि बेकार हो चुकी है। इन ट्रांसफार्मर्स ने कहा कि हमारे बिजली आयेगी वह पूरी नहीं आ सकती और उन पुरानी ट्रांसफार्मर्स और बिजली का तारों को रैन्यूवट कराने के लिए पैसा चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के पास पैसा नहीं था और पैसा दी तरह से मिल सकता था। एक तो जनता पर नये कर लगाकर और दूसरा किसी से

लोन लेकर। जब यह बात हमारे मुख्य मंत्री महोदय के सामने रखी गई तो उन्होंने कहा कि हम कर तो लागयेगे नहीं, पैसा किसी एजेंसी से उधार ले लो और बिजली बोर्ड के सिस्टम को ठीक करवाओ। हमारे मुख्य मंत्री ने कहा कि जब बिजली से पैसा आना भुरु हो जायेगा तब तो हम यह आपना कर्ज उतार देंगे अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमने वर्ल्ड बैंक से 2400 करोड़ रुपये क कर्जा लिया है ताकि हरियाणा प्रदे 1 में बिजली के ट्रांसफर्मर तारे आदि को ठीक करवाकर हरियाणा प्रदे 1 की जनता को 24 घंटे बिजली दे सके और और चौधरी बंसी लाल जी अपना वादा पूरा कर सके। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरे माननीय साथी दूसरी बात यह पूछ रहे थे कि इस लोन पर रेट आफ इंट्रस्ट क्या होगा? इस बारे मे मै बताना चाहता हूं कि इसका रेट आफ इंट्रस्ट 13 प्रति 1त होगा। इसके साथ-साथ यह भी बताना चाहता हूं कि हम यह पैसा सीधा नहीं मिल रहा है बल्कि यह पैसा लोन के रूप में पहले भारत सरकार को मिलेगा और भारत सरकार बाद में हमें जो 2400 करोड़ रुपये मिलेंगे उसमें से हमें 1680 करोड़ रुपये वापिस देने होंगे। इस तरह से हमें 70 प्रति 1त पैसा वापिस देना होगा और 30 प्रति 1त पैसा हमें सबसिडी के रूप में मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, अगर हम टोटल लोन मे से 30 प्रति 1त सबसिडी का पैसा निकाल दे तो हमें रेट आफ इंट्रस्ट 9.1 प्रति 1त ही पड़ेगा। इससे कम इंट्रस्ट पर पैसा कही से भी नहीं मिलता।

Shri Sat Pal Sangwan: Whether it is a compound interest or a simple interest?

श्री अतर सिंह सैनी: अध्यक्ष महोदय, हमें इसका भुगतान 9.1 प्रति वर्ष के हिसाब से करना पड़ेगा।

श्री सतपाल सांगवान: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि हमने वर्ल्ड बैंक से जो लोक लिया है उस के बाद किसानों को हम जो सबसिडी देते हैं क्या उस पर कुछ असर पड़ेगा? क्या बिजली के रेट में भी कुछ बढ़ोतरी होगी?

श्री अतर सिंह सैनी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री सतपाल सांगवान जी को बताया चाहूंगा कि किसान को जो बिजली पर सबसिडी दी जाती है इसके बारे में हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जी ने 1971 में एक स्लैब सिस्टम लागू किया था और उस समय किसानों की बिजली बहुत सस्ती दी जाती थी। लेकिन उसके बाद आज तक जो पिछली सरकारों के मुख्य मंत्री रहे हैं उन्होंने कई बार बिजली के रेट बढ़ाये हैं और लगभग दुगुने कर दिये हैं। उक्त वक्त 25 पैसे प्रति यूनिट किसान को बिजली दी जाती थी जी कि अब बढ़कर 50 पैसे प्रति युनिट तक हो गई है। लेकिन हमारी एच0 बी0 पी0 भाजपा गठबंधन के सत्ता में आने के बाद किसानों को बिजली पर सबसिडी ज्यो कि त्यों जारी है और अभी तक उस स्बैल सिस्टम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और आने वाले समय में भी 50 पैसे यूनिट के हिसाब से किसानों को बिजली रहेगी। और फ्लैट

रेट पर भी 65/ रूपये प्रति बी० एच० पी० के हिसाब से बिजली मिलती रहेगी। इसके अलावा बिजली पर रियायती टैरिफ भी ज्यों का त्यों रहेगा, ऐसा हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसानों को आ वासन दिया हुआ है। किसानों के लिये यह सबसिडी जारी रहेगी और बिजली फिलहाल ज्यादा महंगी नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे कई राजनीतिक विरोधी भाई कहते रहते हैं कि बिजली के सुधारीकरण के बाद बिजली 5/रूपये प्रति यूनिट 6/रूपये प्रति यूनिट या 10/ रूपये प्रति यूनिट महंगी हो जायेगी हो जायेगी, ऐसा ही कुछ कह देते हैं। उसके बारे में मैं आपके माध्यम से हाऊस को बताना चाहूंगा कि हमारे ऐसा ही कुछ का कुछ कह देते हैं। उसके बारे में मैं आपके माध्यम से हाऊस को बताना चाहूंगा कि हमारे परम आदरणीय मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जी ने बिजली का रेट निश्चित करने के बारे में एक ऐसा कानून बनवा दिया है कि अब सरकार के हाथ में बिजली के रेट निश्चित करने के बारे में एक ऐसा कानून बनवा दिया है कि अब सरकार के हाथ में बिजली का रेट बढ़ाने की कोई भावित नहीं रहेगी और यह कानून पास भी हो चुका है। अब सरकार के पास ताकत ही नहीं है कि वह बिजली के रेट बढ़ा सके। यह रेट केवल रैगुलेटरी कमी इन ही बढ़ा सकता है और इस रैगुलेटरी कमी इन का मतलब एक किस्म की अदालत है जो कि सरकार के अधीन नहीं है। जब बिजली के रेट बढ़ाने होंगे तो जैनको और ट्रांसको ये दो कंपनियां इस रैगुलेटरी कमी इन को एक दरखास्त देंगी। जब वे दरखास्त देगी तो रैगुलेटरी कमी इन प्रदे की जनता से पूछेगा

कि किसी व्यक्ति को कोई ऐतराज हो तो वह आकर ऐतराज दायर कर सकता है। वे वकील के माध्यम से अपना ऐतराज दायर कर सकता है। वे वकील के माध्यम से अपना ऐतराज दायर कर सकता है। इस रैगुलेटरी कमी इन में कोई भी कर्मचारी, अधिकारी, किसान या समाज का कोई भी वर्ग अपनी बात कह सकता है। यदि रैगुलेटरी कमी इन को उनका ऐतराज सही लगेगा तो रेट नहीं बढ़ाये जायेंगे और उनका ऐतराज सही नहीं लगेगा तो रैगुलेटरी कमी इन बिजली के रेट बढ़ा सकता है। फिर भी रैगुलेटरी कमी इन के फैसले के खिलाफ भी किसी को ऐतराज हो तो वह हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। इसलिये बिजली के रेट बढ़ाने वाली बात सरकार के बस की नहीं है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): अध्यक्ष महोदय, श्री सांगवान ने बिजली की सबसिडी के एक अहम मुद्दे के बारे में चर्चा की है और हमारे बिजली राज्य मंत्री श्री सैनी जी ने भी इस बारे में विस्तार से सदन को जानकारी दी है। अध्यक्ष महोदय, यह जो हविपा-भाजपा गठबन्धन की चौधरी बंसी लाल जी की सरकार है, इसने बिजली के उत्पादन को बढ़ाने की जो प्रक्रिया अपनाई है उसको अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रसिद्धि मिली है उसको एक मान्यता मिली है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि बिजली के सुधारीकरण की प्रक्रिया जब शुरू की गई तो किसी को यह विवास ही नहीं हुआ था कि हरियाणा सरकार इतनी बड़ी और हमत्वाकांक्षी योजना को सिरें चढ़ा पायेगी। हमारे विरोधी भाईयों

ने भी उस पर यहां चर्चा की है और वे कहते हैं कि यह सरकार बिजली उद्योगपतियों को बेच रही है। हरियाणा के बिजली बोर्ड को ही बेच रही है। इसलिए 24 घण्टे बिजली देने का सपना कभी साकार नहीं हो सकता। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश को 40000 मैगावाट बिजली चाहिए जबकि हरियाणा के पास केवल 863 मैगावाट ही बिजली है और एक दम इतना टाइम कन्ज्यूमिंग कार्यक्रम कोई सरकार कैसे ला सकती है और तीन साल पहले तो इतनी ज्यादा बिजली जनरेटन में नहीं आ सकती। अध्यक्ष महोदय, आज में चौधरी बंसी लाल जी की सरकार को और उनकी सोच को इस सदन के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि जो सरकार पिछले 20 साल से या 26 साल से बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में कोई कदम भी नहीं उठा सकी और वे सरकार बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में कोई कदम रखने में डरती रही है। हरियाणा का यह इतिहास है कि जब किसान के खेत में गेहूँ की फसल पकनी होती है, जब सरसों में दाना पड़ने की बारी आती है तो खेत में पानी की सख्त जरूरत होती है लेकिन किसान को जरूरत के हिसाब से उतनी बिजली नहीं मिलती इसलिए वे आंदोलन के दौरान 25 किसान बिजली की मांग करते हुये गोली से मारे गये थे। चाहे वह कादमा था चाहे वह नीसिंग था, चाहे वह नारनौल था चाहे वह नारनौद था और चाहे कोई दूसरी जगह थी। यह इस बात का प्रमाण है कि अढ़ाई साल पहले इस सरकार ने जिद्द करके, चौधरी बंसी लाल के अनुभवी दिमाग की प्रतिज्ञा से कि हम हरियाणा प्रदेश में बिजली का उत्पादन करके दिखाएंगे बिजली

का ज्यादा उत्पादन की और ध्यान दिया है। वर्ल्ड बैंक ने भी उस समय लोन देने के हिचाकिचाहट दिखाई लेकिन बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने और मुख्य मंत्री जी की बिल पावर ने सदन के समर्थन ने वह सपना साकार करके दिखाया है। पाकिस्तान से लोग हमारी बिजली की जनरे 1न को समझने के लिए कई बार यहां आ चुके है। आज पैरिस में हमारे बिजली बोर्ड के चेयरमैन को इसलिए बुलाया जाता है कि तुमने इतने थोड़े समय में यह कारगर कदम कैसे उठाया, यह प्रक्रिया कैसे प्रारम्भ की। स्पीकर साहब, पहले उद्घाटन होते थे लेकिन उन पर कार्यवाही नहीं होती थी। फरीदाबाद में गैस पर आधारित 432 मैगावाट की क्षमता का प्रोजैक्ट जिसका उद्घाटन मंजहेड़ी गांव में उस समय के प्रधान मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने किया था उस पर बिजली बोर्ड वालों ने दिन रात काम किया अब उनका एक फेस बिजली देने के लायक होने वाला है। सदन के कुछ विधायका के दिमाग में और हरियाणा प्रदे 1 के कुछ लोगों के दिमाग में यह गलतफहमी थी कि ये वर्ल्ड बैंक से 2400 करोड़ रूपय लोन लेगे और वर्ल्ड बैंक उसके लिए अपनी भार्ते रखेगा, किसानों को बिजली मंहगे मिलेगी। इसी प्रक्रिया के दौरान में जहां इस सरकार पर यह इल्जाम था कि वर्ल्ड बैंक का जो लोन होता है इसकी ब्याज की दरें बहुत मंहगी होती है उस बारे में हमारे बिजली राज्य मंत्री थी अतर सिंह सैनी जी ने बताया कि उस लोन की ब्याज की दर 9.1 परसेंट है। आज हमारा कोआप्रेटिव सैक्टर हो, चाहे कोई भी सैक्टर हो, यह किसी भी सैक्टर से सबसे सस्ती

ब्याज की दर है। आज हरियाणा प्रदेश में किसानों को 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है। हरियाणा प्रदेश में किसानों को सबसीडाइज्ड रेट पर बिजली मिल रही है। हमारी सरकार ने बिजली की जो स्केल बनाए हैं। जो ट्यूबवैल 101 फुट तक गहरे हैं जहां से मोटर पानी उठाती है उस किसान से 50 पैसे प्रति यूनिट को घंटा 38 पैसे प्रति यूनिट लिया जाएगा। जो ट्यूबवैल 151 फुट में 200 फुट तक गहरे हैं उस किसान का 38 पैसे प्रति यूनिट से घटा कर 31 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है इसके अलावा महेन्द्रगढ़ लौहारू और मेवात के इलाकों में जहां पर पानी 400 फुट गहरा है उन इलाकों के किसानों से बिजली का रेट 23 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से पैसा लिया जाएगा। अम्बाला-पंचकूला शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में जहां पर किसान डर के मारे ट्यूबवैल नहीं लगते थे वहां पर किसान ट्यूबवैल लगाने लग गए हैं। जो ट्यूबवैल के लिए फ्लैट रेट 65 रूपय बी० एच० पी० के हिसाब से लिया जाता था वह दूसरे स्केल में 65 रूपय से घटा कर 50 रूपय कर दिया गया है। तीसरे स्केल में यह 40 रूपय कर दिया गया है और चौथे स्केल में 30 रूपय कर दिया गया है। उड़ीसा से लोग हमारे सिस्टम को देखने के लिए आए। बिजली उत्पादन में जो हमारी रुचि है जो हमारी गम्भीरता है उसको देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने पहली 240 करोड़ रूपय की क्रेडिट दे दी है और वर्ल्ड बैंक वालों ने कहा है कि इस समय तक की इस बारे में सरकार की जो कार्रगुजारी है, इस समय तक की सरकार की जी इस बारे में गम्भीरता है हम उसकी

प्रति संसा करते है और हम अपना सन्तोश प्रकट करते है स्पीकर साहब, इस महान सदन के सामने कल मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हमारे बिजली बोर्ड का बिजली उत्पादन का जो प्रोसैज है उससे किसानों को बिजली मंहगी नहीं मिलेगी। हमारी सरकार का प्रदे 1 के लोगों को 24 घंटे बिजली देने का जो सपना था उसके बारे में हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने उस समय खद 11 जाहिर किया था लेकिन अब प्रदे 1 के लोगों को 24 घंटे बिजली देने की बात पूरी होने लगी है तो उनको बड़ी मुक्ति कल हो गई है। गांव का आदमी, भाहर का आदमी और कारखाने का मालिक सब एहसास करने लगे है कि हां सरकार इस रफ्तार में हमें 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा सकती है। स्पीकर साहब, मैंने आपके सामने यही निवेदन करना था। धन्यवाद।

श्री अतर सिंह सैनी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि हम किसानों को जो बिजली 50 पैसे प्रति यूनिट दे रहे है वह सरकार को 2.88 रूपये पर यूनिट पड़ती है यानी सरकार को इतना खर्चा वहन करना पड़ता है। दूसरे मैं यह कहना चाहूंगा कि एच0 बी0 पी0 व बी0 जे0 पी0 की मिली जुली जो सरकार है वह किसानों के लिए बहुत अच्छ काम कर रही है। इसके लिए मैं अपने मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जी को बधाई देना चाहता हूं कि जहां हमारे प्रदे 1 में ग्रामीण क्षेत्र को बिजली का 26 प्रति 100 दे रहे है वहां हमारे प्रदे 1 हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र को लगभग 50 प्रति 100 बिजली दे रहे है और गेहूं व

धान की बिजाई व काटई के समय में 50 परसेंट से अधिक बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं यह बताना चाहूंगा कि पहले स्लैब प्रणाली के तहत 63 हजार किसानों को फायदा होता था जो अब बढ़कर 1.25 लाख किसानों को फायदा होगा यानी पहले से दुगुने किसानों को फायदा होगा।

श्री सतपाल सिंह सांगवान: स्पीकर साहब, हमारे शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास भार्मा जी व बिजली मंत्री श्री अतर सिंह सैनी जी ने बहुत बढ़िया ढंग से बिजली की स्थिति के बारे में स्पष्ट किया है। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा मुख्य मंत्री जी का बड़ा हार्दिक धन्यवाद करता हूँ क्योंकि हमारे कई साथियों जैसे सोमबीर, नृपेन्द्रसिंह, जगदीश जी व अन्य कई साथियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि स्लैब प्रणाली के तहत 30 रुपये प्रति हार्स पावार के हिसाब से किसानों को बिजली मिल जायेगी। सरकार ने ऐसी सुविधा किसानों को देकर वाकई बहुत सराहनीय कार्य किया है। मैं एक बात यह और जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को ट्रांसको और जेनको कम्पनी के अलावा बिजली बोर्ड की कोई और कम्पनी या कापरिशन बनाने का विचार है।

श्री अध्यक्ष: सांगवान जी, अब बैठियें। इसका जवाब वाद में मुख्य मंत्री जी देंगे।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon'ble Members now, a Minister will move the motion under Rule 15.

Minister of State for Public Relations (Shri Attar Singh Saini): Sir, I beg to move-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule Sittings of the Assembly indefinitely.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule Sittings of the Assembly indefinitely.

Mr. Speaker: Question is-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule Sittings of the Assembly indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now a Minister will move the motion under Rule 16.

Minister of State for Public Relations (Shri Attar Singh Saini): Sir, I beg to move-

That the Asscmbly at its rising this day shall stand adjourned sinedie.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Asscmbly at its rising this day shall stand adjourned sinedie.

Mr. Speaker: Question is-

That the Asscmbly at its rising this day shall stand adjourned sinedie.

The motion was carried.

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 121

Minister of State for Public Relations (Shri Attar Singh Sami): Sir, I beg to move-

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assemble in-so far as they relate to the constitution of the-

(i) Committee on Pubic Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iV)Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Back Backward Classes,

for the year 1999-2000 be suspended.

Sir, I also move-

That this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 1999-2000 keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so far as they relate to the constitution of the-

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes,

for the year 1999-2000 be suspended.

And

That this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 1999-2000 keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker: Question is-

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the

Haryana Legislative Assemble in-so far as they relate to the constitution of the-

(i) Committee on Pubic Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Back Backward Classes,

for the year 1999-2000 be suspended.

And

That this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 1999-2000 keeping in view the proportionate stength of various parties/groups in the House.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखा गया कागज-पत्र

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now a Minister will lay the paper on the Table of the House.

Minister of State for Public Relations (Shri Attar Singh Saini): Sir, I have to lay on the Table of the House the Grant Utilization Certificate and Audit report for the year 1996-47 of the Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural Universty. Hisar as required under section 34(5) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970

समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना

(i) लोक लेखा समिति की 48वीं रिपोर्ट पे ा करना

Mr. Speaker: Now Shri Sat Pal Sangwan, Chairperson of the Committee on Public Accounts will present the Forty Eighth Report of the Committee on Public Accounts for the year 1998-99. on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st Macrh. 1994 (Remaining paragraphs) and 31st March, 1995 (Civil and Revenue Receipts)

(ii) अनुसूचित जतियों, जन-जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण समिति की 24वीं रिपोर्ट पे ा करना

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now Shri Ramesh Kashyap, Chairperon of the Committee on the Walfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes will present the Twenty Forth Report of the Committee on the Watfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 1998-99.

श्री रमे ा क चप (चेरयपर्सन, अनुसूचित जातियों, जन-जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1998-99 के लिए अनुसूचित जातियों, जन-जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याणा के लिए समिति की 24वी रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ।

(iii) अधीनस्थ विधान समिति की 30वीं रिपोर्ट पे ा करना

Mr. Speaker: Now Shri Kapoor Chand Sharma, Chairperson, Committee on Subordinate Legislation will present the Thirtieth Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 1998-99.

श्री कपूर चन्द भार्मा (चेयरपर्सन, अधीनस्थ विधान समिति): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1998-99 के लिए कमेटी ऑन सबोर्डिनेट लैजिस्लेशन की 30वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूँ।

(iv) सरकारी आवासन समिति की 30वीं रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now Shri Somvir Singh a Member of the Committee on Government Assurances will present the Thirtieth Report of the Committee on Government Assurances for the year 1998-99

Shri Somvir Singh (A member of the Committee on Government Assurances): Sir, I beg to present the Thirtieth report of the Committee on Government Assurances for the year 1998-99.

बिलज—

1. हरियाणा विनियोग (सं० 1) विधेयक, 1999

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 1999 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Charam Dass): Sir, beg to introduce the Haryana Appropriation (No.1) Bill 1999.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Appropriation (No.1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No.1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation (No.1) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is-

That Schedule be the Schedule of the Bill

The Motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula
of the Bill

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Development move the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Charan Dass): Sir, I also beg to move-

That the the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

2. हरियाणा विनियोग (सं० २) विधेयक, १९९९

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1999 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Charam Dass): Sir, beg to introduce the Haryana Appropriation (No.2) Bill 1999.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Appropriation (No.1)Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No.1) Bill be taken into consideration at once.

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, मुझे यहां पर कुछ कहने में आनन्द तब आता जब सामने वाले भाई यहां पर बैठे होते। हाउस ने विपक्ष के 9 सदस्यों को ही सस्पेंड किया था और बाकी 26 सदस्य तो यहां पर अपनी बात कह सकते थे। अध्यक्ष महोदय, 3 विपक्ष के मैम्बरज कैप्टन अजय सिंह, श्री खुर्दी, अहमद और श्री देवराज दीवान रोजना विधान सभा में आते हैं, हाजिरी लगाते हैं और चले जाते हैं। सदन का उन्होंने वायकाट किया हुआ है और टी0 ए0, डी0 ए0 के लिए हाजिरी लगाने आते हैं। अध्यक्ष महोदय, श्री ओम प्रकाश चौटाला ने एक प्रेस नोट में जो बात कही है मैं उनका जवाब दे दूंगा तो अच्छा रहेगा। उन्होंने एक बात यह भी कही कि इस बार का बजट प्लानिंग कमीशन से डिसकस किए वगैर पैसे किया जा कि गलत है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि पिछले साल भी हमने जुलाई में बजट पैसे किया लेकिन उससे पहले हमने वोट ऑन अकाउन्ट पास किया और बाद में जुलाई में बजट पास किया। उस समय हमें भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन से इस बजट को डिसकस करने का टाईम सितम्बर में मिला था और सितम्बर में हमने बजट डिसकस किया। इसलिए इस तरह से कई बार ऐसा सितम्बर में मिला था और सितम्बर में हमने बजट डिसकस किया। इसलिए इस तरह से कई बार ऐसा हो जाता है। यदि प्लानिंग कमीशन के साथ बजट फाईनलाइज भी हो जाता है तो उसके बाद भी प्लान हो जाता है। यदि प्लानिंग कमीशन के साथ बजट फाईनलाइज भी हो जाता है तो उसके बाद भी प्लान घटता बढ़ता रहता है।

according to the resources available to the State Government and Central Government. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इस साल का प्लान यानी 1998-99 का 2260 करोड़ रुपये से घटकर 1800 करोड़ रुपये हो गया है और अब सरकार उसको घटाकर 1800 करोड़ रुपये से 1400 रुपये करने जा रही है। लेकिन मैं उनकी बताना चाहता हूँ कि हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। हमारा यह जो प्लान है वह 1800 करोड़ रुपये का ही इम्प्लीमेंट होगा। इस प्लान के कम होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बार सेंट्रल असिसटैन्ट्स 354 करोड़ 51 लाख रुपये की कम आयी जबकि सेंट्रल असिसटैन्ट्स 951 करोड़ 17 लाख की आनी थी लेकिन आयी केवल 596 करोड़ 66 लाख रुपये की। अध्यक्ष महोदय, हमको वर्ल्ड बैंक से या ओ0 ई0 सी0 एफ0 से फर्दर लोन मिलने थे, वह नहीं मिले। इसका सबसे बड़ा कारण परमाणु विस्फोट का तजुर्बा रहा। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में रिसै इन भी आयी और इस रिसै इन के कारण हमारे अपने भी रिसोर्सिज घट गए। जो हमारा स्टेट भोयर सेंट्रल टैक्सिज का आना था वह भी 126 करोड़ 60 रुपये कम आया। इसके साथ ही हमारा कुछ नोन प्लान एक्सपैडीचर भी हो गया। आठ करोड़ रुपये हमने म्यूनिसिपल कमेटीज को दे दिए सात करोड़ रुपये हमने कोआपरेटिव भी हो गया। आठ करोड़ रुपये हमने म्यूनिसिपल कमेटीज को दे दिए, सात करोड़ रुपये हमने कोआपरेटिव भुगर मिलज को दिए ताकि वे किसानों को उनके इसके अलावा हमने फ्रीडम फाइटर्ज की पें इन भी बढ़ा दी जिस पर हमको पीने दो

करोड़ रूपया खर्च करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, फिर भी हमारा 1800 करोड़ रूपये से नीचे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। इसी तरह से एक बात ओमप्रका । चौटाला ने अपनी स्टेटमेंट में यह भी कही—

“Due to anti-farmer policies of the Government including poor power supply and inability to clear water logged fields, the agricultural production in the State decreased by 8.4% in which the reduction in the production of commercial crops of cotton sugarcane and oil-seeds was to the tune of 25.1 16.3 and 58.1% respectively”

अध्यक्ष महोदय, मैं आनरेबल मैम्बर का बताना चाहूंगा कि 1997-98 में में बहुत एक्सीसिव रेन हुई यह रेन पकी पकायी फसली के ऊपर हुई जिससे हमारी फसलों का नुकसान हुआ, किसानों का भी नुकसान हुआ, सरकार का भी नुकसान हुआ और इससे सभी को परे गानी भी हुई। इसके अलावा उन्होंने यह भी कह दिया कि सरकार ने जमीनों में से वर्षा का पानी नहीं निकाला इसलिए रबी की फसल की का त पूरी नहीं हो सकी। अध्यक्ष महोदय, हमने दी लाख 93 हजार एकड़ जमीन का पानी दो महीने में निकाला है जो कि आज तम हरियाणा प्रदेश में एक रिकार्ड है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार रबी की फसल की का त कम हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए से सदन को बताना चाहता हूँ कि 1997-98 के रबी की फसल का त हुई थी ओर इस साल 31 लाख 33 हजार हैक्टेयर रबी की फसल का त हुई

है। इसका मतलब 2 लाख 60 हजार हैक्टियर रबी की फसल की ज्यादा का त हुई है। और ज्यादा का त होने की वजह यह है कि इस भाजपा-हविपा गठबन्धन की सरकार ने किसान है जरूरत किसान की तकलीफ महसूस करके बड़ी तेजी से जमीनों मे से पानी निकाल दिया। सरकार के इस काम से किसान पूर्ण रूप से संतुष्ट है। हम इस बार टोटल रबी और खरीफ की पैदावार 114.42 लाख टन और ऑइल सीड्स की पैदावार 9 लाख 20 हजार टन होने की आ ता कर कहे है। अध्यक्ष महोदय, पर केपिटा इकम पर चौटाला साहब यह बनाय दे रहे है—

Per Capita Income has declined by Rs 28 from 4025 to Rs. 3997 and the gross domestic product has show an all time low incerase of merely 1.1 per cent between 1997 and 1998”

Speaker Sir, in this connection, I would like to explain detail. The Per capita income at constant prices (1980-81) which was Rs. 3679 in 1995-96 has increased to Rs. 3997 in 1997-98 recording an icrease of 8.6 per cent The statement that the gross state domestic of 1.1% is not correct. The all time low growth of -0.08 per cent in gross state domestic product was recorded indicated during the regime of Ch. Devi Lal. Further, the state domestic product indicated a growth of only 0.2 per cent in 1992-93 during the regime of Ch. Bhajan Lal. It is informed that the State domestic product has increased fromh Rs. 7455 crores in 1995-96 to Rs. 8381 crores in 1997-98, indicating a growth of 12.4 per cent.

अध्यक्ष महोदय, टैक्स रिसीट्स के बारे में ओम प्रकाश चौटाला कहते हैं कि Tax receipt projections are unrealistic and have shown a tendency of declining upto December, 1998 and there is rampant corruption prevalent in the State. अध्यक्ष महोदय, इस साल दिसम्बर महीने के अंत तक महीने के अंत तक हमारी 1383 करोड़ रुपये की टैक्स रिसीट्स की कलैक्टान हो जायेगी और पिछले साल दिसम्बर माह के अंत तक हमारी टैक्स रिसीट्स की कलैक्टानस 1383 करोड़ की थी, इस प्रकार पिछले साल के मुकाबले में यह 46 करोड़ रुपये ज्यादा है लेकिन श्री चौटाला को यह कलैक्टानस कम लगती है। सबसे बड़ी तकलीफ हमारे विरोधी भाइयों को बिजली के बारे में है। पिछले महीने के अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि कहा करते थे कि बिजली का रेट 6 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगा, फिर कहते थे कि यह सरकार प्रदेश के लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं दे सकती, कहां से देगी। अध्यक्ष महोदय, हम इसी साल 30 जून से हरियाणा प्रदेश के लोगों को 24 घंटे बिजली देंगे। (इस समय भेजे बपथपाई गई) श्री ओम प्रकाश ने कहा कि The generation of electricity fell by 346 million units in the previous in spite of an increase in the generating capacity.

अध्यक्ष महोदय, जब चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी मुख्य मंत्री थे तो उस समय बिजल की कैपेसिटी 893 मैगावाट थी और उन्होंने बिजली का जरनेशन 2525 मिलियन यूनिट किया और 1990-91 में जब उन्हीं की सरकार थी तो उस समय बिजली

का जनरे इन 2343 मिलियन यूनिट हुआ यानी 7.2 परसेंट बिजली का जररे इन कम हुआ। जब 1995.96 में चौधरी भजन लाल जी की सरकार थी उस समय जो बिजली का जनरे इन था वह टोटल 3300 मिलियन यूनिट था। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी की गठबन्धन सरकार 1996.97 में सत्ता में आई है उस दिन से चौटाला और चौधरी देवीलाल जी की सरकारों के मुकाबले में तो बहुत ज्यादा बिजली का जनरे इन हुआ है। चौटाला भजन लाल देवीलाल जी की सरकारों के मुकाबले में तो बहुत ज्यादा बिजली का जररे इन हुआ है चौधरी भजन लाल जी की सरकार के वक्त 1995.96 में बिजली में बिजली का जनरे इन 3300 मिलियन यूनिट था और हमने आते ही साल में 3671 मिलियन यूनिट जनरे इन कर दिया यानी 11.23 परसेंट ज्यादा कर दिया। 1997.98 में हमने बिजली के जनरे इन को बढ़ाकर 3757 मिलियन यूनिट कर दिया और इस साल जनवारी तक 3139 मिलियन यूनिट और 31 मार्च 1999 तक 3830 मिलियन यूनिट बिजली की जनरे इन करने का एस्टिमेंट है जोकि 1.9 प्रति गत ज्यादा है। इसके बाद प्लांट लोड फैक्टर पिछले नौ सालों में हाईएस्ट 49.6 प्रति गत रहा है जिसमें से श्री चौटाला की सरकार के समय में 44 प्रति गत था और उनकी सरकार आने के एक साल बाद 34 प्रति गत हो गया। चौधरी भजन लाल जी को सरकार में प्लांट लोड फैक्टर 43 प्रति गत हो गया। जब वर्तमान भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी गठबन्धन की सरकार 1996.97 में सत्ता में आई तो यह 48 प्रति गत हो गया

और 1997.98 में 49 प्रति टा और 1998.99 में 49.6 प्रति टा हो गया। हमने अपने ही रिकार्ड को तोड़ा है इन विपक्ष के भाइयों की पिछले सरकारों का ही रिकार्ड नहीं तोड़ा। इस प्रकार अगर हिसाब तो जब लोक दल की सरकार थी तो जनरे टान 7.2 प्रति टा डाऊन हुआ था और 1990.91 के मुकाबले 1996.97 में हम 56 प्रति टा ज्यादा बिजली पैदा कर पाये हैं और 1997.98 में 1990.91 के मुकाबले 60.5 प्रति टा बिजली ज्यादा बिजली पैदा की है। अध्यक्ष महोदय, 1990.91 में प्लांट लोड फैक्टर 34 परसेंट था और आज उसके मुकाबले हम हिसाब लगाने तो we are much higher than that. They have said that the per M.W. generation of installed capacity fell by 5.66 in the same year. Mr. Speaker Sir, the per M.W generation of panipat, Faridabad and Yanunanagar generation projects has increased, not gone down. जैसा मैंने आपको बताया कि पहले जब लोकदल की सरकार 1989.90 में थी जब बिजली की पैदावार 2.71 मिलियन यूनिट थी, 1995.96 में चौधरी भजन लाल जी की सरकार के समय में बिजली की पैदावार 3.82 मिलियन यूनिट थी और आज भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी गठबन्धन की सरकार के समय 1996.97 में 4.25 मिलियन यूनिट बिजली की पैदावार है। 1997.98 में बिजली की पैदावार 4.35 मिलियन यूनिट थी और इस साल हमें इस को 4.5 मिलियन यूनिट कर देंगे। हम तो पहले की सरकारों के मुकाबले हर लिहाज से ज्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के भाइयों को तो कहने की आदत है, वे कहे बिना नहीं रह सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब से यह सरकार बनी

है, विपक्ष के भाइयों ने सरकार का जवाब सुनने की कोशिश की, लेकिन कभी नहीं की है। पिछली बार तो विपक्ष के कुछ साथी सदन में बैठे रह भी गए थे लेकिन आमतौर पर वे हर बार सदन से वॉक आउट करके चले ही जाते हैं। जहां तक बिजली की जनरेटन का ताल्लुक है उसके बारे में हम पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें Secretary, Power. Government of India conveyed the appreciation of the Prime Minister who had reviewed the power generation in the country and was especially pleased to convey that the generation of Panipat Thermal Power Project was appreciable from 1-4-1997 to 30-9-1997 It was appreciated by the Prime Minister himself.

अध्यक्ष महोदय, उसके बावजूद श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा कि बिजली की खपत प्रति व्यक्ति घट रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि चौधरी देवी लाल के वक्त में यह बिजली की खपत 458 यूनिट हो गई और वर्तमान सरकार आने के बाद यह खपत 462 यूनिट थी तथा पिछले साल क्योंकि बारिश ज्यादा हो गई थी इसलिए बिजली की खपत कम होने के कारण यह खपत 438 यूनिट पर आ गई है। इस साल यह खपत प्रति व्यक्ति 465 यूनिट ऐस्टिमेटिड है जो कि ऑल टाइम हाई है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकारी के मुकाबले हमारे वक्त में बिजली की उपलब्धता सबसे ज्यादा है। इस साल की जो स्थिति है i.e 371 lac unit per day as compared to 348 lac unit in the previous year. And the estimated per capital consumption of electricity this year is 465 unit. यह भी हम ने

अपना ही रिकार्ड तोड़ा है। अध्यक्ष महोदय, जब 1967-68 में हमने पॉवर प्लांटस लगाए थे तो उससे पहले बिजली की प्रति व्यक्ति खपत हरियाणा में 57 यूनिट थी जो कि आज प्रति व्यक्ति खपत 465 यूनिट हो गई है और जब हम 24 घंटे बिजली देना भुरू कर देंगे तो यह खपत और अधिक बढ़ जाएगी। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा कि ट्यूबवैल-कनैक्शन इस सरकार ने 2.69 प्रतिशत काट दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति बिजली खर्च करता है और उसका बिल अदा नहीं करता है तो उसका कनैक्शन तो हम काटेंगे ही तथा हम ही क्या काटेंगे, पिछली सरकारों ने खुद भी ऐसे कनैक्शन काटे हैं। 1987-88 में लोकदल की सरकार के समय ट्यूबवैल्ज के 1372 कनैक्शन काटे गए, 1988-89 में लोकदल की ही सरकार के समय ट्यूबवैल्ज के 908 कनैक्शन काटे गए तथा 1989-90 में भी इन्हीं की सरकार के समय में 645 ट्यूबवैल कनैक्शन काटे गए। इसलिए वर्तमान सरकार यह कोई नया काम नहीं कर रही है। जो कोई भी व्यक्ति बिजली खर्च करेगा तथा उसका बिल अदा नहीं करेगा, उसके ट्यूबवैल का कनैक्शन तो हम काटेंगे ही। श्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा *all the projections in the Budget are a figment of imagination of unsuccessful Government*

अध्यक्ष महोदय, अगर हमारी ऊपर वर्णित इस परफोमेंस के बावजूद भी यह सरकार असफल है तो ये दूसरे भाई तो सारी उम्र भी सफल नहीं हो सकते हैं। 30 जून, 1999 तक हरियाणा में 24 घंटे बिजली देने की वर्तमान सरकार की जो प्रतिबद्धता है,

उसके लिए हमने क्या प्रबंध किया है, उसको भी हरियाणा प्रदेश की जनता को जानने का अधिकार है। हम बिजली कहां से लाएंगे? 24 घंटे हम बिजली प्रदेश के अन्दर कैसे दे पाएंगे? इसके लिए अध्यक्ष महोदय, हमने दो बार, एक बार सितम्बर में और एक बार नवम्बर में और भायद पिछली जून में पूरे प्रदेश को 24 घंटे बिजली देकर एक्सपैरीमेंट किया था और 24 घंटे बिजली देने से ज्यादा से ज्यादा 42 लाख यूनिट बिजली की कमी आई थी। अध्यक्ष महोदय, 30 जून, 1999 तक हमारे पास 377 मैगावाट बिजली आ जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 143-143 मैगावाट के 2 यूनिट फरीदाबाद में लगने से हमें 76 लाख यूनिट बिजली मिलने लगेगी। जबकि हम जरूरत सिर्फ 40-42 लाख यूनिट की है, ज्यादा से ज्यादा 45 लाख यूनिट की होगी। इसके बाद मार्च, 2000 तक 622 मैगावाट तथा दिसम्बर, 2000 तक 268 मैगावाट बिजली और आ जायेगी। अध्यक्ष महोदय, यह बिजली कहां से आयेगी इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 20 मैगावाट बिजली मारुति उद्योग से मिलेगी, 25 मैगावाट बिजली लिक्विड फ्यूल से चलने वाले प्लांट गुड़गांव से मिलेगी जो कि नवम्बर में चालू हो गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एन0 टी0 पी0 सी0 फरीदाबाद की यूनिट-1 और यूनिट-2 143-143 मैगावाट जून तक चालू हो जायेगी। इस तरह से हमें टोटल 58 लाख यूनिट बिजली और मिलेगा तथा हमें बिजली की जरूरत सिर्फ 42 लाख या 45 लाख यूनिट की है। इसके अतिरिक्त पानीपत में 4 पुराने थर्मल

पावर प्लांटो की रिफॉर्मिसमेंट हो रही है उनसे हमें 68 मैगावाट बिजली मिलने लगेगी और 14 लाख यूनिट बिजली पहले जो एन0 टी0 पी0 सी0 फरीदाबाद की फालतू है वह बच जायेगी। अध्यक्ष महोदय, ऊंचाहार थर्मल पावर प्लांट के एन0 टी0 पी0 सी0 के दूसरे यूनिट से हमें 23 मैगावाट बिजली मिलेगी, 5 लाख यूनिट वहां से आ जायेगी। इस तरह से 377 मैगावाट यानी 76 लाख यूनिट बिजली हमको नई मिलने लगेगी। अध्यक्ष महोदय, जब हमारे पास 76 लाख यूनिट होगी तो तब हमारे पास 20-30 लाख यूनिट बिजली सरप्लस होगी और इसके साथ-साथ मार्च 2000 तक पानीपत थर्मल पावर स्टे अनज दो और चार भी बन जायेगे जिसकी कैपेसटी 136-136 मैगावाट की होगी, जिनसे हमें 28 लाख यूनिट बिजली मिलेगी। इसके अतिरिक्त पानीपत थर्मल पावर यूनिट-6 है जो 210 मैगावाट का होगा उससे भी हमें 42 लाख यूनिट बिजली मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, लिक्विड फ्यूल जो 100 मैगावाट का है उससे 20 लाख यूनिट बिजली मिलेगी और एन0 टी0 पी0 सी0 का यूनिट-3 जो 146 मैगावाट का है उससे भी 29 लाख यूनिट बिजली मिलने लगेगी। इसके अतिरिक्त भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने बिजली में कुछ बढ़ोतरी की है उसमें से हमें 622 मैगावाट बिजली मिलने लगेगी। अध्यक्ष महोदय, इस तरह 1.25 करोड़ यूनिट बिजली हमारे पास हो जायेगी और हमारे पास बिजली की कमी नहीं रहेगी। हमारे पास तो सरप्लस बिजली होगी। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 2000 तक पानीपत थर्मल पावर प्लांट की यूनिट चार से हमें 68 मैगावाट

यानी 14 लाख यूनिट बिजली यानी 268 मैगावाट बिजली मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह अगले एक हफ्ते में यमुनानगर का 500 मैगावाट के थर्मल प्लांट बनाने के लिए फाईनल टैंडर फ्लोट इस प्लांट करके जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वह टैंडर अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक फाईनल टैंडर फ्लोट करने जा रहे हैं और इस प्लांट का काम भुरू हो जायेगा। इस तरह से इस प्लांट से हमें छः महीने के अंदर 500 मैगावाट बिजली मिलने लगेगी। इसके अलावा फिर हम हिसार में 500 मैगावाट के थर्मल प्लांट को लगाने के लिए टैंडर फ्लोट करेंगे। इसके अतिरिक्त आई0 ओ0 सी0 का तेल भांधक कारखाना पानीपत में लग रहा है उनसे हमने समझौता कर लिया है इन-राईटिंग में कमिटमेंट कर लिया है। इस कारखाने में पेट्रोल या डीजल बनने हमने समझौता कर लिया है इन-राईटिंग में कमिटमेंट कर लिया है। इस कारखाने में पेट्रोल या डीजल बनने से पहले जो रैजीड्यूटी निकलता है। उससे बिजली बनती है, औरेया पावर स्टे जनर की भी कैपेसटी बढ़ाई जा रही है। 65 मैगावाट बिजली हमको उनसे भी मिलेगी। यह सब करने के बाद हमारे प्रदेश में पावर की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। विपक्षी भाइयों को तकलीफ यह है कि 30 जून, 1999 के बाद वे गांवों में जाकर क्या कहेंगे? एक बार विपक्ष के तीन-चार एम0 एल0 एज0 मेरे पास आ गये, वे आये तो थे किसी और काम से, जब मैंने चाय मंगवा दी तो वे चाय पीते-पीते कहने लगे की चौधरी साहब क्या आप एक साल के अन्दर-अन्दर 24 घण्टे बिजली दे दोगे तो मैंने उनसे कहा कि भाई एक साल

तो ज्यादा है, हम तो एक साल से भी बहुत पहले प्रदेश में 24 घण्टे बिजली देंगे। (इस समय भेजे थपथपाई गई) इस पर उन्होंने मेरे से कहा कि फिर हम गांव में जाकर क्या कहेंगे? मैंने कहा कि भगवान ने चाहा तो अगले ढाई साल में आप लोगों को गांव में बड़न जोगे छोड़ेंगे ही नहीं तो जाओगे कहा। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, हमने 24-25 नये सब स्टेशन बनाये हैं और तकरीबन 94 सब स्टेशनों की हमने स्ट्रैथनिंग की है और 125 ऑगमेंट किये हैं। इनके अलावा हम और नये सब स्टेशन भी बनाने जा रहे हैं और ऑगमेंट भी करने जा रहे हैं। इसके साथ-साथ 16000 किलोमीटर लम्बी 11 के0 वी0 ए0 की बिजली की नई लाइने बिछाने जा रहे हैं और बड़ी लाइने भी बिछेंगी लेकिन 16000 किलोमीटर की लाइने तो 11 के0 वी0 ए0 की बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन के लिये बिछा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रीब्यूशन के लिये बिजली बोर्ड की चार कंपनियां बनेगी। जैनको और ट्रांसको ये दो कंपनियां तो हमने बना दी है और डिस्ट्रीब्यूशन की दो और कंपनियां बनायेगे और मैं समझता हूं कि 15 दिन के अन्दर या अन्दर या ज्यादा से ज्यादा एक महीने के अन्दर ये कंपनियां जयोंगी। जैनको कंपनी 100 प्रतिशत हरियाणा गवर्नमेंट की होगी और ट्रांसको कंपनी भी 100 प्रतिशत हरियाणा गवर्नमेंट की होगी। हम डिस्ट्रीब्यूशन के मामले हरियाणा प्रदेश को दो हिस्सों में बांटने और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में से एक कंपनी हरियाणा गवर्नमेंट की होगी और एक कंपनी के बारे में किसी प्राईवेट कंपनी को इन्वाइट करेंगे और इसमें 51 प्रतिशत

भोयर इस प्राइवेट कम्पनी के होगी तथा बाकी के 49 भोयर सरकार के होंगे। उस प्राइवेट कम्पनी के डायरेक्टर प्रदे । की सरकार के अधिकारी होंगे और उससे सरकार को बहुत फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के भाई आज प्रचार करते हैं कि छ' रूपये प्रति यूनिट बिजली का रेट की जायेगा। लेकिन मेरा ख्याल से कि हमारे इस तजुर्बे से तो भायद रेट भी न बढ़े। भगवान ने चाहा तो भायद हमें भी बिजली की बिक्री करने लायक हो जायें। हमने तो हरियाणा की जनता को सहूलियत देने की कोशिश की है, हमने जनता को कोई तकलीफ देने की कोशिश नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, अब किसानों को बिजली पर सबसिडी देने का सवाल आता है। हमने वर्ष 1996-97 में किसानों को बिजली पर सबसिडी 747 करोड़ 37 लाख रूपये दी है, वर्ष 1997-98 में किसानों को ट्यूबवैल के लिये 872 करोड़ 36 लाख रूपये की सबसिडी दी है और वर्ष 1998-99 में 31 मार्च 1999 तक जो बिजली की सबसिडी हो जायेगी वह 880 करोड़ 47 लाख है। इसके अलावा अगले साल का बजट अभी हम पे तैयार कर रहे हैं कि इसमें वर्ष 1999-2000 के लिए हम किसानों को बिजली बिजली पर 928 करोड़ रूपये की सबसिडी देंगे। इससे ज्यादा तो मेरे मेरे ख्याल में कोई भी सरकार सबसिडी किसानों को दे भी नहीं सकती। हमारे जो मुखालिफ भाई हैं वे कहते हैं कि हम बिजली बोर्ड का सारा ही काम गलत कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक में जो पावर के मामले में पूरे एशिया के इन्वार्ज हैं, मिस्टर मटैकनिक, वे छः सात महीने पहले हमारे यहां आये थे और

उन्होंने हमारे अधिकारियों से बिजली के बारे में डिस्कान भी की थी। वे मुझे भी मिले थे। उन्होंने मुझे से यह कहा कि हम एिया के दूसरे मुल्को में बिजली के बारे में हरियाणा की मिसाल देते हैं कि हरियाणा की तरह बिजली का प्रबन्ध करो। मि0 मटैकनिक के कहने से वर्ल्ड बैंक के कन्सलटैन्ट जो कि पाकिस्तान के भी कन्सलटैन्ट है, ब्रॉन्च स्टाइमनटनसन, ने यहां पर आ करके हमारे बिजली बोर्ड के सिस्टम को स्टडी किया। उन्होंने हमारे बिजली बोर्ड के चेयरमैन से पूछा कि अगर हम पाकिस्तान की टीम भेजे तो क्या आप उनको यह बिजली के सुधार का सारा सिस्टम दिखा देंगे, क्या उनको यह सारा सिस्टम समझा देंगे। हमारे बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने जवाब दिया कि अगर भारत सरकार आपकी टीम को बीजा दे देगी तो हम यह सिस्टम उनको दिखा देंगे। अध्यक्ष महोदय, विदेशी लोग हमारे काम की तारीफ करते हैं। आंध्र प्रदेश का बिजली बोर्ड के मैम्बर टैक्नीकल और सैक्रेटरी, हरियाणा के बिजली जनरेशन का सिस्टम स्टडी करने आए। इसके अलावा श्री विनोद जुल्सी, आई0 ए0 एस0 एग्जैक्टिव डायरेक्टर रिफोर्म्स, राजस्थान इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड चार फरवरी को हमारा सारा सिस्टम देख कर गए। इसी तरह से कर्नाटक स्टेट के बिजली बोर्ड के मैम्बर पावर और मैम्बर लेबर 11-12 फरवरी को यानी कल परसों हमारे सिस्टम को स्टडी करने आ रहे हैं। इसी तरह से बिहार के रमई राम मिनिस्टर और पावर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फार पावर और चेयरमैन बिजली बोर्ड तथा मैम्बर टैक्नीकल 18 से 20 फरवरी तक हमारा बिजली का सिस्टम स्टडी करने के

लिए आ रहे है। इसके अलावा किसी भी वक्त श्रीलंका वालों की लीडरशिप में एक हाई पावर डैलीगेशन एन एन डिवैल्पमेंट बैंक द्वारा हमारे यहां भेजा जाने वाला है। इसके अलावा एक फ्रेंच स्कॉलर है श्री स्लज जोयड, वह ऑन रिफोर्म्ज पी0 एच0 डी0 कर रहे है उन्होंने हरियाणा और उड़ीसा दोनों स्टेट्स की बिजली की सुधारीकरण की तारीफ की है। वह कई बार हमारे यह सिस्टम स्टडी करने आ चुके है। अध्यक्ष महोदय, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे है कि हरियाणा प्रदेश की जनता को फायदा हो, हरियाणा प्रदेश का फायदा हो और हरियाणा प्रदेश दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करें मगर मैं क्या करूं हमारे उन विरोधी पक्ष के भाइयों को चर्च में ही उन्टे चढ़े हुए है। वे सदन में आ करके बाई काट करते है और बाहर हाजरी लगा कर चले जाते है। इन भाब्डों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस एप्रोप्रिएशन बिल को पास किया जाए।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation (No.2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is-

That Schedule be the Schedule of the Bill

The Motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula
of the Bill

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Charan Dass): Sir, I also beg to move-

That the the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

3. हरियाणा विधान सभा (सदस्य चिकित्सा सुविधा) सं गेधन
विधेयक, 1999

Mr. Speaker: Now, the Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Medical Facilities to Members)

Amendment Bill, 1999 and he will also move the motion for its consideration.

Minister of State for Public Relations(Shri Attar Singh Saini): Sir, beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Medical Facilities to Members) Amendment Bill,.1999

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Legislative Assembly (Medical Facilities to Members) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Legislative Assembly (Medical Facilities to Members) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

शिक्षा मंत्री(श्री राम बिलास भार्मा): अध्यक्ष महोदय, पहले हमारे जो जो इस सदन के माननीय सदस्य रह चुके हैं वे यदि बाद में किसी कापेरि उन के चेयरमैन बन जाते हैं तो उनको मैडिकल की सुविधा नहीं मिल पाती थी। अब इस संसोधन के माध्यम से वे सभी पूर्व माननीय सदस्य कहीं से भी ऐसी सुविधा ले सकते हैं। पहले उनको विधान सभा से मैडिकल की सुविधा नहीं मिलती थी इसलिए इस एनोमली को दूर करने के लिए यह संसोधन किया गया है।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Legislative Assembly (Medical Facilities to Members) Amendment Bill, be taken into consideration.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula
of the Bill

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Minister for Parliamentary
Affairs will move the Bill be passed.

**Minister of State for Public Relations(Shri Attar
Singh Saini):** Sir, beg to move-

That the the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

4. हरियाणा विधान सभा (सदस्य भता तथा पें ान) सं ाधन
विधेयक, 1999

Mr. Speaker: Now, the Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension Members) Amendment Bill, 1999 and he will also move the motion for its consideration.

Minister of State for Public Relations(Shri Attar Singh Saini): Sir, beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension Members) Amendment Bill,.1999

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension to Members) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension to Members) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

शिक्षा मंत्री(श्री राम बिलास भार्मा): अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व विधायकों को चिकित्सा सुविधा देने संबंधी बिल से संतोधान करने वाला बिल था। इस बिल में जो हमारे पूर्व विधायक है उनको जो पैशन दी जाती है उस डी० ए० संबंधी संतोधान है। अब से पूर्व विधायकों को पैशन पर डी० ए० नहीं मिलता था। बाकी प्रान्तो में डी० ए० की सुविधा सभी वर्ग के कर्मचारियों को उपलब्ध हैं। उन्हें पूर्व सदस्यों की सुविधा के लिए पैशन में डी० ए० जुड़ जाए जिस अनुपात में बाकी के श्रेणी के

कर्मचारियों के वेतन में डी० ए० जुड़ता है उसी अनुपात में पूर्व सदस्यों की पै ान में भी यह इजाफा हों इसलिए यह सं ाोधन पूर्व सदस्यों की पै ान में सुविधा के लिए लाया गया है ।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension to Members) Amendment Bill, be taken into consideration.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula
of the Bill

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Minister for Parliamentary
Affairs will move the Bill be passed.

**Minister of State for Public Relations(Shri Attar
Singh Saini):** Sir, beg to move-

That the the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

5. हरियाणा प्राइवेट महाविधायल(प्रबन्ध)सं गोधन विधेयक, 1999

Mr. Speaker: Now, the Minister of State for Parliamentary Affairs will introduce the Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Amendment Bill, 1999 and he will also move the motion for its consideration

Minister of State for Public Relations(Shri Attar Singh Saini): Sir, beg to introduce the Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Amendment Bill, 1999

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Amendment Bill, Amendment Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Amendment Bill, Amendment Bill, be taken into consideration at once.

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): स्पीकर सर, जो यह बिल अभी माननीय पार्लियामेंट्री अफेयरज मिनिस्टर जी ने प्रस्तुत किया है, वह स्वागत योग्य है। स्पीकर सर, आप जानते हैं कि आज पूरे प्रदेश के अन्दर कई ऐसे शिक्षा संस्थान खुलते जा रहे हैं जिनके पास न पूरा भवन होता है और न बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य स्टाफ होता है। हम देखा करते थे कि पहले हमारे प्रदेश के अन्दर इन्जनियरिंग कॉलेजों में या विविद्यालयों में इन्जनियरिंग के कोर्स पढ़ने

वाले बच्चों का एक अलग ही रूतबा होता था और इन बच्चों में अलग प्रकार का ही आत्मा वि वास हुआ करता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि छोटे-छोटे नगरों और कस्बों में भी इन्जीनियरिंग कालेज खुल रहे हैं। इसी प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश में प्राइवेट मैनेजमेंट्स के नाम पर कई ऐसी संस्थाएं खुल रही हैं जिससे शिक्षा के स्तर में काफी गिरावाट आती जा रही है। स्पीकर सर, आज जो यह बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है इसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जी को मुबारिकाबाद देता हूँ कि इस बिल के पास होने से शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। आज कई तरह की प्राइवेट संस्थाएं प्रदेश के अन्दर कई टैक्नीकल कोर्सिज चला रही हैं लेकिन उनमें शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई भी गौर नहीं करता है। यह जो बिल आज सदन में लाया गया है। इसके माध्यम से हमारी शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा और यह जो प्राइवेट संस्थाएं अनाप-पानाप तरीके से लोगों का भोशण करती हैं उन पर रोक लगेगी। धन्यवाद।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana the Haryana Private Colleges (Taking over of Mangement) Amedment Bill,, be taken into consideration.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now. the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 4 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 5 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Clause 6

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 6 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula
of the Bill

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Minister for Parliamentary
Affairs will move the Bill be passed.

**Minister of State for Public Relations(Shri Attar
Singh Saini):** Sir, beg to move-

That the the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

6. हरियाणा नगरपालिका (सं तोधन) विधेयक, 1999

Mr. Speaker: Now, a Minister will introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1999 and he will also move the motion for its consideration.

स्थानीय भासन मंत्री (डा० कमला वर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगर पालिका (सं तोधन) विधेयक, 1999 प्रस्तुत करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के बारे में सदन को बताना चाहूंगी कि यह अमेंडमेंट क्यों लाई गई? सर, हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 24 जून, 1973 को बना था। इससे पहले 1911 में पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट बना था जिसके तहत सारा काम किया जाता था। 1952 में पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट बनाया गया, 1954 में पंजाब बिलेज कामन लैण्ड एक्ट बनाया गया जिससे गांवों में जो भामलात जमीन होती थी पंचायतों के अधिकार में आ गई। 1954 के बाद जिन भाहरों में उनकी सीमा बढ़ाई जाती थी तो उसमें जो गांव आते थे वे म्यूनिसिपैलेटी की सीमा में आ जाते थे। उन गांवों की भामलात भूमि नगरपालिका के अधिकार में आ जाती थी। अध्यक्ष महोदय, लेकिन सन् 1954 से पहले के जो पुराने भाहर हैं, वहां पर जो कामन लैण्ड है वह हर आदमी के लिए सांझे रूप में इस्तेमाल होती थी। उसमें कहीं ने कहीं कब्जा

करने का साहबस हो जाता था या वह कही न कही कोई मौका देखते थे तो कब्जा कर लेते थे। लेकिन मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि 1973 में जब यह एक्ट बना था, 1974-75 में भी आदरणीय मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जी ने जो समय भी मुख्य मंत्री थे। इस एक्ट के अंदर यह अमैडमेंट करनी चाही थी कि सारी अवैध जमीन या भामलात की जमीन जो कि गांवों से भाहर बनने के बाद नगरपालिका की सीमा में आयी है, उस सारी जमीन का अधिकार नगरपालिका के पास होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 1978 में हाई कोर्ट से माननीय न्यायाधी । श्री संधेवालिया जी की बेंच ने उस अमैडमेंट को रद्द कर दिया था और रद्द होने के बाद पिछली किसी भी सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। इसलिए अब हम कह एक रैमीडियल मैजर ला रहे है ताकि इसमें कोई भी लूप होल न रह जाए, किसी भी कोई मौका न मिले जिससे यह भामलात जमीन पर अवैध कब्जा कर सके। अध्यक्ष महोदय, जितनी भी भाहरों के अंदर जमीन है वह अधिकार नगरपालिका और सरकार के माध्यम से होना चाहिए। इसलिए इस तरह के अवैध कब्जों को रोकने के लिए और उसमें सुधार लाने के लिए इस बिल के माध्यम से यह अमैडमेंट लायी जा रही है।

मैं प्रस्ताव करती हूँ—

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration.

Mr. Speaker: Question is-

That the Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula
of the Bill

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Minister for Local
Government will move the Bill be passed.

स्थानीय भासन मंत्री (डा० कमला वर्मा): अध्यक्ष
महोदय, मै प्रस्ताव करती हूँ—

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

7. हरियाणा नगर निगम (सं धोन) विधेयक 1999

Mr. Speaker: Now, the Local Government will introduce of the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1999 and he will also move the motion for its consideration

स्थानीय भासन मंत्री (डा० कमला वर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक, 1999 प्रस्तुत करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में मैं सदन को कुछ बताना चाहूँगी यह अमैडमेंट एक तो हम उन्हीं अवैध कब्जों को जो भासलात जमीन पर होते हैं रोकने के लिए ला रहे हैं और दूसरे इस अमैडमेंट के माध्यम से हम 196 सैकड़ों इन के अधीन एक और सशोधन कर रहे हैं कारपोरेटों का जो कमिशनर लगाया जाता है उसकी पावर पहले पब्लिक वर्क्स का काम करवाने के लिए केवल एक लाख रूपया के व्यय करने की थी। लेकिन एक लाख रूपये से कोई सड़क या कोई नाली वगैरह पूरी नहीं हो पाती थी यानी एक लाख रूपये से बहुत ही कम काम हो पाते थे। इसके अलावा स्थानीय विधायकों की भी मांग थी यानी एक लाख रूपये से बहुत ही कम काम हो पाते थे। इसके अलावा स्थानीय विधायकों की भी मांग थी कि इस राशि को बढ़ाया जाए। इसलिए इस अमैडमेंट के माध्यम से इस एक लाख रूपये की राशि को बढ़ाकर पांच लाख रूपये करने का प्रावधान कर दिया गया है। इस बिल के पास होने के बाद कारपोरेटों का कमिशनर पब्लिक के कामों के लिए पांच लाखों रूपये तक खर्च कर सकेगा। तीसरी बात मैं यह बताना चाहूँगी कि सैकड़ों 267

के अंदर हम टी0पी0 स्कीम जो कंपनीसे इन के बारे में थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, उसे हम इस बिल के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई प्राइवेट लैंड वाला अपनी कालोनी का विकास कार्य स्वयं करना चाहे और अपने आप कालोनीवासियों को सुविधा दे और अपना खर्च आप करे तो उसे कोई कंपनीसे इन नहीं देनी पड़ेगी और अगर कारपोरेट इन उस जमीन के ऊपर कोई काम करवाना चाहेगी तो वहां लैंड ओनर को कंपनीसे इन देना पड़ेगा। इस संशोधन को हम इस बिल में ला रहे हैं। चौथी क्लॉज मैम्बर्स की सस्पेंड इन के बारे में है इसमें मेयर, डिप्टी मेयर, और सीनियर मेयर की सस्पेंड इन का प्रवाधान है, जैसे किसी मैम्बर पर क्रिमिनल या सीरियस ऐलीगे इन हो तो उसे सस्पेंड किया जा सकता है, निलम्बित करने की नीति वही होगी जो नगर परिषद और नगरपालिका के इस अमैडमैट के द्वारा एक्ट में लाया जा रहा है ताकि 34-ए के तहत और 37-ए के तहत मेयर, डिप्टी मेयर, और सीनियर मेयर पर सीरियस ऐलीगे इन लगने पर उसको सस्पेंड किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और क्लियर कर दू कि हरियाणा प्रदेश में एक ही निगम फरीदाबाद में है क्योंकि जिस नगर की आबादी पांच लाख या उससे अधिक हो उसी में नगर निगम बनाई जा सकती है इसलिए यह अमैडमैट फरीदाबाद से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ।

कि हरियाणा नगर निगम सं ाधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 4 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 5 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Clause 6

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 6 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Clause 7

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 7 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Clause 8

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 8 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Clause 9

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 9 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Clause 10

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 10 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Clause 11

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 11 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill

The Motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula
of the Bill

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Local Government Minister will move that the Bill be passed.

स्थानिय भासन मंत्री (डा० कमला वर्मा): अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्तव करती हू।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is.

That the Bill be passed.

The Motion was carried

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I thank you all. Now, the House adjourned sine-die.

12.42 Hrs.

(The Sabha then adjourned sine-die)